फरवरी 2018 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

भारत पर्व

'भारत पर्व' का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 31 जनवरी, 2018 के बीच किया गया। इस समारोह ने लोगों में देशभक्ति का भाव और राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने का काम किया।

प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने बैंड के साथ प्रस्तुति दी और सेना ने अपने डायनमिक बैंड का भी प्रदर्शन किया। समारोह में चंडीगढ़ से आए कलाकारों ने शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम पेश किया।
- गुजरात के कलाकारों ने 'गरबा रास' की प्रस्तुति दी।
- बिहार के कलाकारों ने 'परिणय सूत्र' का प्रदर्शन किया।
- वहीं मध्य प्रदेश के कलाकारों ने 'बधाई' और राजस्थानी कलाकारों ने 'सेहरिया', 'गैर' और 'चकरी' का प्रदर्शन किया।
- अंत में पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र ने समूचे भारत की विभिन्न कलाओं से जुड़े नृत्य की प्रस्तुति दी।

मिहिर : भारत का उच्च निष्पादन कंप्यूटर
High Performance Computer System 'Mihir'

हाल ही में भारत ने नोएडा (उत्तर प्रदेश) में नेशनल सेंटर फॉर मिडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान (National Centre for Medium Range Weather Forecasting) में अपने उच्च निष्पादन कंप्यूटर (High Performance Computer-HPC) प्रणाली 'मिहिर' (अर्थात् सूर्य) को शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह नई प्रणाली उच्च क्षमता और प्रदर्शन के मामले में भारत की सबसे बड़ी एचपीसी सुविधा व्यवस्था होगी।
- इसकी शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया के शीर्ष **500** एचपीसी सुविधाओं वाले देशों की सूची में **368**वें स्थान से **30**वें स्थान पर आ जाएगा।
- मिहिर के कार्यान्वित होने के साथ ही भारत मौसम/जलवायु वर्ग के लिये समर्पित एचपीसी संसाधनों वाले देशों में जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथा देश होगा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (**IIP**) एक ऐसा सूचकांक है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के लिये संवृद्धि (**Growth**) दर का विवरण प्रस्तुत करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसकी गणना और प्रकाशन **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा मासिक रूप** से किया जाता है।
- यह सूचकांक किसी चयनित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- आईआईपी एक संयुक्त संकेतक (**Composite Indicator**) है, जो कि उद्योग समूहों की संवृद्धि दर को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत करता है-
  - ✓ **व्यापक क्षेत्रों (Broad Sectors)** में जिसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र शामिल हैं।
  - ✓ **उपयोग-आधारित क्षेत्रों (Use-based Sectors)** में जिसमें आधारभूत वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ शामिल हैं।
- वर्तमान में आईआईपी आँकड़ों का आधार वर्ष **2011-12** है। आईआईपी में आठ प्रमुख उद्योगों (**Core Industries**) का भारांश अवरोही क्रम में निम्नलिखित है-

रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)	28.04%
विद्युत (Electricity)	19.85%
इस्पात (Steel)	17.92%
कोयला (Coal)	10.33%
कच्चा तेल (Crude Oil)	8.98%
प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	6.88%
सीमेंट (Cement)	5.37%
उर्वरक (Fertilizers)	2.63%

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा असम सरकार के वन विभाग के सहयोग से 2 फरवरी को गुवाहाटी के दीपोर बील (रामसर स्थल) में राष्ट्रीय स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2018 का आयोजन किया गया।

थीम

- इसकी थीम 'सतत् शहरी भविष्य के लिये आर्द्रभूमि' है।

पृष्ठभूमि

- प्रत्येक वर्ष **2** फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (**World Wetlands Day**) मनाया जाता है। इसी दिन **1971** में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि रामसर समझौते (**Ramsar Convention**) को अपनाया गया था।
- भारत **1982** से इस समझौते का सदस्य है और आर्द्रभूमि के उचित इस्तेमाल में रामसर दृष्टिकोण के प्रति संकल्पबद्ध है।
- आर्द्रभूमि पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को रामसर समझौता कहा जाता है। यह अंतर-सरकारी संधि है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और उचित उपयोग तथा उसके संसाधनों के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा प्रदान करती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारतीय संदर्भ

- पर्यावण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये नोडल मंत्रालय है।
- यह **1985** से रामसर स्थलों सहित आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिये प्रबंधनकारी योजना के डिज़ाइन और कार्यान्वन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को समर्थन दे रहा है।

कुसुम योजना

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अथवा कुसुम (Kisan Urja Surksha evam Utthaan Mahaabhiyan - KUSUM) योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के उपरांत अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा।

उद्देश्य

- विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन।
- संप्रेषण नुकसान में कमी।
- कृषि क्षेत्र के सब्सिडी भार को कम करके बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय समर्थन।
- आरपीओ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्यों को समर्थन।

लाईफाई प्रौद्योगिकी (LiFi technology)

हाल ही में एक पायलट परियोजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (ministry of electronics and IT) ने सफलतापूर्वक लाइट फिडेलिटी ((Light Fidelity- LiFi) नामक प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया।

- इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एलईडी बल्ब और हल्के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए प्रति **1** किमी. तक के दायरे में **10** जीबी प्रति सेकंड की रफ़्तार से डेटा का संचार किया जा सकता है।
- स्पष्ट है कि जल्द ही भारत में वाणिज्यिक आधार पर भी इस प्रौद्योगिकी को लॉन्च किया जाएगा।

लाई-फाई क्या है?

- जर्मन भौतिक विज्ञानी और प्रोफेसर हेराल्ड हास (**Harald Haas**) द्वारा लाई फाई का आविष्कार किया गया।
- यह एक वायरलेस तकनीक है, जो रेडियो तरंगों के स्थान पर दृश्यमान प्रकाश का उपयोग कर प्रति सेकंड की गति पर डेटा प्रसारित करती है।
- यह वाई फ़ाई की तुलना में **100** गुना अधिक गति से कार्य करती है।
- लाई फाई एक विज़ीबल लाइट कम्युनिकेशंस (**Visible Light Communications -VLC**) प्रणाली है।
- इसका मतलब यह है कि यह डेटा को 'स्ट्रीम-एबल कंटेंट' **(stream-able content)** में परिवर्तित करने हेतु प्रकाश संकेतों और एक सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट (**signal processing element**) प्राप्त करने के लिये एक फोटो डिटेक्टर (**photo-detector**) का समायोजन करती है।
- इसके विपरीत वाई फाई के अंतर्गत रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जबकि लाई फाई तकनीक दृश्य प्रकाश पर कार्य करती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सेला पास (Sela Pass)

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 13,700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सेला पास से सुरंग बनाने की घोषणा की गई है। इस सुरंग के माध्यम से चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक शहर के रूप में स्थित तवांग (Tawang) में सैनिकों की गति को तीव्र किया जा सकता है।

सेला पास

- सेला पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग (**West Kameng**) ज़िलों के बीच स्थित है।
- इस क्षेत्र को सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- सेला पास के समीप सेला झील उस क्षेत्र में मौजूद लगभग **101** झीलों में से एक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थान रखती है।

साल नदी

केंद्र सरकार द्वारा गोवा के नवेलिन शहर में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये नई परियोजना को मंज़ूरी दी गई। इस परियोजना को मंज़ूरी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना को जनवरी **2021** तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस परियोजना से नदी में प्रदूषण के बोझ को कम करने एवं इसकी जल गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त शहर के पर्यावरण एवं स्वच्छता में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी।

नोडल मंत्रालय

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल निकाय होगा।

पृष्ठभूमि

- साल नदी भारत के गोवा के सल्केटे से बहने वाली नदी है।
- यह नदी अरब सागर में गिरती है।
- गोवा के वेलिम में साल नदी के समीप एक प्राकृतिक बंदरगाह 'कुतुबंध' अवस्थित है। 'कुतुबंध' का अर्थ होता है 'छुपा हुआ'।
- नौसेना द्वारा जहाज़ निर्माण के लिये इस बंदरगाह का उपयोग किया जाता है।

भारत कला मेला

भारत कला मेला (India Art Fair) का आयोजन प्रतिवर्ष देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। इसे पहले 'इंडिया आर्ट समिट' कहा जाता था। इसके अंतर्गत समसामयिक तथा आधुनिक भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- ललित कला अकादमी द्वारा **4** से **18** फरवरी, **2018** तक पहले अंतरराष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कला मेले के दौरान विभिन्न कला गतिविधियों और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिनमें दृश्यकला फिल्मोत्सव, पॉटरी/पटचित्र/पेपरमेशी वर्कशॉप, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट वर्कशॉप, संगीतमय प्रस्तुतियाँ, डांस-ड्रामा, जेकिया, सीवेन्सी द्वारा वॉयलिन मेकिंग वर्कशॉप, आर्टिस्ट गपशप प्वॉइंट, नुक्कड़ नाटक और प्रत्यक्ष प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- देश में कला और कलात्मक प्रवृत्तियों के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण हेतु ललित कला अकादमी का गठन **5** अगस्त, **1954** को भारत सरकार ने किया था।
- यह वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो सोसायटी के रूप में **1957** से पंजीकृत है।

क्रिसिडेक्स (CriSidEx)

- हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिये क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) नामक भारत का पहला सेंटीमेंट (मनोभाव) इंडेक्स जारी किया गया है।
- इसे क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित गया है।
- क्रिसिडेक्स एक सम्मिश्रित इंडेक्स है, जिसे **8** अलग-अलग सूचकांकों को मिला कर तैयार किया गया है।
- यह लघु एवं मध्यम क्षेत्र के बारे में व्यापारिक सोच को **0** (बिल्कुल ही नकारात्मक) से **200** (पूर्ण रूप से सकारात्मक) के पैमाने पर मापता है।
- नवंबर-दिसंबर **2017** में **1100** लघु एवं मध्यम इकाइयों से मिली जानकारी के आधार पर इन मानकों को तय किया गया था।
- क्रिसिडेक्स में दो सूचकांक होंगे, एक उस 'तिमाही' के लिये होगा, जिसमें सर्वेक्षण किया जाएगा जबकि दूसरा 'अगली तिमाही' के लिये होगा।
- दूसरे सूचकांक को कई चरणों में सर्वे करने के बाद मिले आँकड़ों के आधार पर विकसित किया जाएगा, जो कि समय निरपेक्ष श्रृंखला के आँकड़े मुहैया कराएगा।
- क्रिसिडेक्स का एक अहम फायदा यह होगा कि इससे मिली जानकारी किसी संभावित कठिनाई और उत्पादन श्रृंखला में परिवर्तन के बारे में सूचना देगी, जिससे बाज़ार की कार्यकुशलता बढ़ेगी।

पेलिकन बर्ड त्योहार (Pelican Bird Festival)

कोल्लेरू झील (Kolleru lake) पर 'पेलिकन बर्ड फेस्टिवल 2018' आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश पर्यटन प्राधिकरण (Andhra Pradesh Tourism Authority-APTA) और कृष्णा ज़िला प्रशासन (Krishna district administration) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

- हज़ारों पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्कस और बहुत से दूसरे पक्षी सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं। हाल ही में, अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अटापका (**Atapaka**) दुनिया में सबसे बड़ी पेलिकनरी (**largest Pelicanry**) है।

कोल्लेरू झील

- कोल्लेरू झील (**Kolleru lake**) देश की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्ण और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है।
- इसे वर्ष **1999** में वन्यजीव अभयारण्य (**wildlife sanctuary**) घोषित किया गया था।
- यह एक रामसर स्थल है।
- ग्रे पेलिकन यह झील ग्रे पेलिकन (एक बड़े शानदार पक्षी) के घोंसले और ब्रीडिंग के लिये प्रसिद्ध है। **1973** के बाद से ग्रे पेलिकन को तकरीबन **35** वर्षों बाद दिसंबर **2006** में इस झील पर देखा गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ग्रे पेलिकन (**Grey Pelican**) को स्पॉट बिल्ड पेलीकन (**Spot Billed Pelican**) भी कहा जाता है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (**Wildlife Protection Act**) की अनुसूची-I के साथ-साथ रेड डाटा बुक (**Red Data Book**) में भी सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे "वल्नेरेबल" (**vulnerable**) श्रेणी के तहत "ग्लोबली थ्रेटएंड स्पीशीज़" (**globally threatened species**) भी माना जाता है।

डिजिटल जेंडर एटलस (Digital Gender Atlas)

9 मार्च, 2015 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में एक डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया। डिजिटल जेंडर एटलस को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस एटलस की सहायता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिये वाले समूहों में शिक्षा के संबंध में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रदर्शित किया गया है।
- इसका उद्देश्य विकलांग बालिकाओं सहित असुरक्षित बालिकाओं हेतु एक समान शिक्षा सुनिश्चित कराना है।
- डिजिटल जेंडर एटलस के प्रमुख अवयव हैं-
  - ✓ समग्र जेंडर रैंकिंग।
  - ✓ लिंग परीक्षण के रुझान के आधार पर विश्लेषण।
  - ✓ वामपंथी उग्रवादी ज़िलों और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी में शैक्षणिक सुधार की स्थिति।
  - ✓ कम लिंगानुपात वाले ज़िलों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
  - ✓ विकलांग बच्चों (विशेषकर लड़कियों) के संबंध में संकेतकों द्वारा निष्पादन की वास्तविक स्थिति।

अग्नि 1 मिसाइल

भारत ने मंगलवार को सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना के सामरिक कमांड बल द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- ठोस इंजन आधारित मिसाइल तकनीक।
- मारक क्षमता **900** किलोमीटर।
- सशस्त्र बल में शामिल पहली एवं एकमात्र ठोस इंजन वाली मिसाइल।

दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट

'स्पेसएक्स' कंपनी द्वारा 'फ़ॉल्कन हेवी' नामक एक विशाल रॉकेट तोहलमप ने केप केनावेराल स्थित अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा के जॉन एफ़ कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी।

- 'फ़ॉल्कन हेवी' के टैंक में एक टेस्ला कार रखी गई है। यह गाड़ी अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचने वाली विश्व की पहली कार होगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस रॉकेट को कैनेडी सेंटर के उसी **LC-39A** प्लेटफ़ॉर्म से लॉन्च किया गया है, जहाँ से अपोलो मिशन को लॉन्च किया गया था।
- टेस्ला और स्पेसएक्स ये दोनों कंपनियाँ अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनियाँ हैं। एलन मस्क की योजना 'फ़ॉल्कन हेवी' जैसे भारी-भरकम रॉकेट को भविष्य में मंगल ग्रह के लिये शुरू किये जाने वाले अभियानों में इस्तेमाल किये जाने की है।

विशेषता

- यह अंतरिक्ष की कक्षा में तकरीबन **64** टन वजन स्थापित करने की क्षमता रखता है। ये वजन पाँच डबल डेकर बसों के बराबर है।

ट्रैपिस्ट-1 नामक लाल तारे का चक्कर लगाने वाले ग्रह

बर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ट्रैपिस्ट-1 नामक लाल तारे का चक्कर लगाने वाले साथ ग्रहों पर पानी मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इन सात ग्रहों का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर आँका जा रहा है।

ट्रैपिस्ट-1 क्या है?

- यह एक अति शीतल बौना तारा (**ultra-cool dwarf star**) है, जो एक्वेरियस तारा समूह (**Aquarius constellation**) में अवस्थित है।

प्रमुख बिंदु

- ट्रैपिस्ट-**1** बी इस तारामंडल का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका वायुमंडल पृथ्वी से ज़्यादा घना है, जबकि इसका भीतरी हिस्सा पथरीला है।
- ट्रैपिस्ट-**1** सी का भी भीतरी भाग पथरीला है, लेकिन बाहरी वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में कम सघन पाया गया है। ट्रैपिस्ट-**1** डी इस तारामंडल का सबसे हल्का ग्रह है। इन सभी ग्रहों में ट्रैपिस्ट-**1**ई की विशेषताएँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है।

माइक्रोलेंसिंग

प्रमुख बिंदु

- नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला (**Chandra X-ray Observatory**) से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर ग्रहों की खोज की है। चंद्र एक्स-रे वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित एक दूरबीन है।
- माइक्रोलेंसिंग एक खगोलीय घटना है, जो कि ग्रहों का पता लगाने के लिये गुरुत्वाकर्षण द्वारा वक्रित प्रकाश का उपयोग करती है।
- जबकि ग्रहों को मिल्की वे आकाशगंगा में माइक्रोलेंसिंग उपयोग करके खोजा जाता है। वहीं छोटे पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी उच्च आवर्धन उत्पन्न कर सकता है, जिसके माध्यम से आकशगंगा से परे खगोलीय घटनाओं को समझा जा सकता है।
- यह आकाशगंगा **3.8** अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अब तक की सर्वश्रेष्ठ दूरबीन से भी इसका अवलोकन संभव नहीं था, किंतु माइक्रोलेंसिंग के कारण यह खोज संभव हो सकी है।

उदयगिरि पहाड़ी

उदयगिरि पहाड़ी बहुत सी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिये प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी को मुख्य रूप से इसकी गुफाओं के लिये जाना जाता है। उदयगिरि की 20 गुफाओं में से सबसे दर्शनीय गुफा नंबर 5 है।

- इस गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार की तकरीबन **12** फीट ऊँची एक बहुत भव्य और अनूठी प्रतिमा अवस्थित है। नरवराह की यह प्रतिमा शिल्प, स्थापत्य, धर्म-संस्कृति एवं रचनात्मकता का प्रमाण है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विशेषताएँ

- प्रतिमा का सिर वराह (सुअर) के आकार का है, जबकि शरीर मनुष्य की तरह बनाया गया है। यही कारण है कि विष्णु के इस रूप को नरवराह कहा जाता है।\
- यहाँ पहाड़ी की विशाल शिला को बहुत खूबसूरती से तराशा गया है।
- इसमें न सिर्फ भगवान विष्णु के शारीरिक सौष्ठव को उत्कीर्ण किया गया है, बल्कि उनकी स्तुति करते हुए उसी शिला पर बहुत से देव, गंधर्व एवं साधुओं सहित समुद्र की लहरों को भी उकेरने का काम किया गया है।

पृष्ठभूमि

- चंद्रगुप्त द्वारा पाँचवीं शताब्दी में इस प्रतिमा का निर्माण कराया गया था।
- वराह अवतार, भगवान विष्णु के दस अवतारों में से एक अवतार है।
- ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराने के लिये भगवान विष्णु ने वराह (सुअर) के मुँह वाले अवतार को धारण कर राक्षसों द्वारा फैलाई गई गंदगी में से पृथ्वी को अपने मुँह से खींचकर उसका उद्धार किया था।

पारे पर मिनामाटा समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी

भारत सरकार द्वारा पारे पर मिनामाटा समझौते की पुष्टि करने के साथ ही भारत इस समझौते का पक्षकार बन गया है। पारे पर मिनामाटा समझौते की पुष्टि की मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों संबंधी प्रक्रियाओं को जारी रखने के संबंध में 2025 तक की अवधि निर्धारित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- सतत् विकास के संदर्भ में कार्यान्वित करते हुए इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा पारे के यौगिकों के उत्सर्जन से बचाना है।
- भारत ने **30** सितंबर, **2014** को इस पर हस्ताक्षर किये थे। भारत ने इस समझौते पर वार्त्ता में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ ही संधि की विषवस्तु को अंतिम रूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।
- मिनामाटा कन्वेंशन का नाम जापानी शहर मिनामाटा के नाम पर रखा गया है, जिसने एक रासायनिक कारखाने से औद्योगिक अपशिष्ट जल के मिनामाटा खाड़ी में विसर्जन के बाद कई दशकों तक पारा-विषाक्तता के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया था।
- **पारा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत :-** रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (**CFLs**) तथा थर्मामीटर जैसे घरेलू उत्पाद, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र, संदूषित स्थलों सहित पुरानी खानें, लैंडफिल और कचरा निपटान स्थल भी पारा प्रदूषण के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

भारत-संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कोष (UN Development Partnership Fund)

भारत ने साउथ-साउथ कोऑपरेशन के दौरान भारत-संयुक्त राष्ट्र भागीदारी (साझेदारी) कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि प्रदान की। इस वर्ष के प्रारंभ में विकासशील देशों में सतत् विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये भारत और संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग संगठन (UNFSSC) कार्यालय ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि की स्थापना की थी।

प्रमुख बिंदु

- सात प्रशांत द्वीपीय देशों में 'जलवायु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' इस कोष से सहायता प्राप्त करने वाली पहली परियोजना है।
- **UNOSSC** द्वारा प्रबंधित, यह फंड विकासशील देशों के दक्षिणी स्वामित्व और नेतृत्व, मांग-चालित एवं परिवर्तनकारी स्थाई विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कम विकसित देशों (**Least Developed Countries -LDCs)** और लघु द्वीप विकासशील राज्यों (**Small Island Developing States)** पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ भागीदार सरकारों के निकट सहयोग के साथ फंड की परियोजनाओं को लागू करेगी।
- यह भारत और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (**United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC)** के बीच एक साझेदारी है।

UNOSSC के बारे में

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (**United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC)** को विश्व स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने, समन्वय और समर्थन करने के लिये स्थापित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **1974** से **UNOSSC** का आयोजन किया जा रहा है।
- **UNOSSC** को दक्षिण-दक्षिण सहयोग की उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और इसके सहायक निकाय द्वारा नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किये जाते हैं।
- **UNOSSC** द्वारा अनुमोदन और धन के लिये अपने रणनीतिक फ्रेमवर्क को यूएनडीपी (**United Nations Development Programme),** यूएनएफपीए **(United Nations Population Fund –UNFPA)** और यूएनओपीएस (**United Nations Office for Project Services -UNOPS)** कार्यकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

'द ग्रेट इंडिया ब्लॉग ट्रेन'

पर्यटन मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर एक प्रभावकारी अभियान के रूप में 'द ग्रेट इंडिया ब्लॉग ट्रेन' की शुरुआत की गई, जिसमें दुनिया भर के यात्रा ब्लॉगर्स को शामिल किया गया है।

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा ब्रांडिंग और विपणन को एक प्रभावी उपकरण के रूप में सोशल मीडिया के महत्त्व को ध्यान में रखते हुये सोशल मीडिया पर प्रभावकारी अभियान 'द ग्रेट इंडिया ब्लॉग ट्रेन' का आयोजन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस अभियान का उद्देश्य घरेलू और विदेशी बाज़ारों में भारत की लक्ज़री ट्रेनों को एक अनूठे पर्यटन उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना (Prime Minister Research Fellows – PMRF)

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की शोधार्थी योजना को लागू किया गया है। यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य देश के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करके शोध की गुणवत्ता में सुधार करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना के तहत किये जाने वाले शोध से हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बेहतरीन शिक्षकों की कमी पूरी होगी। सरकार का यह कदम 'ब्रेन-ड्रेन' को 'ब्रेन-गेन' में बदल देगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- प्रत्येक अध्येता को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिये उनकी विदेश यात्रा से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिये **5** वर्ष की अवधि के लिये **2** लाख रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा।
- वर्ष **2018-19** से शुरू होने वाली तीन वर्षीय अवधि के लिये अधिकतम तीन हज़ार शोधार्थियों को चुना जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक

- यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की बौद्धिक संपदा अधिकारों की वकालत करने वाले ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (**Global Innovation Policy Centre)** ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को **50** देशों की सूची में **44**वाँ स्थान दिया है।
- इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है।
- कई दशकों से इस रिपोर्ट में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंतर्गत रखा गया।

स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क
(Swachh Bharat Sanitation Park)

- विभिन्न सुरक्षित तकनीकी विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पर्यावरण स्वच्छता संस्थान और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक स्वच्छता पार्क विकसित किया है।
- इस पार्क में शौचालय प्रौद्योगिकीयों से संबंधित विभिन्न विकल्पों और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों के प्रदर्शन के साथ ही इन प्रौद्योगिकीयों का संक्षिप्त विवरण भी दर्शाया गया है।

स्वाधार गृह योजना

- देश में वर्तमान में **17331** लाभार्थियों के साथ **559** स्वाधार गृह मौजूद हैं।
- यौन उत्पीड़न की शिकार के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष **2002** से 'स्वाधार गृह योजना' का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक ज़िले में **30** महिलाओं की क्षमता वाले 'स्वाधार गृह' स्थापित कर ऐसी महिलाओं के लिये आवास, भोजन, कपड़ा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।
- **ICPS** के तहत विविध बाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किये गए हैं, जिनमें बाल न्याय के लिये कार्यक्रम, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिये एकीकृत कार्यक्रम और एक ही जगह पर विस्तृत नियमों और नए कार्यक्रमों सहित देश के भीतर बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने के लिये गृहों (शिशु गृह) को सहायता देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

सेमा 4 नेटालिस

वैज्ञानिकों ने बच्चों में होने वाली तकरीबन 193 आनुवंशिक बीमारियों की जाँच की दिशा में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब इस जाँच को मात्र एक डी.एन.ए. टेस्ट की सहायता से आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस टेस्ट को वैज्ञानिकों द्वारा 'सेमा 4 नेटालिस' नाम दिया गया है।

- इस टेस्ट की सहायता से मांसपेशियों के क्षय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की आसानी से जाँच की जा सकती है।
- इस टेस्ट की सबसे विशेष बात यह है कि इसे घर पर भी किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह टेस्ट इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य टेस्ट की अपेक्षा इस टेस्ट की सहायता से पाँच गुना अधिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
- आमतौर पर सामान्य जाँच प्रक्रिया के अंतर्गत आनुवंशिक बीमारियों के विषय में बहुत देर से पता चलता है। ऐसे में उनका पूर्ण रूप से इलाज कर पाना बहुत कठिन हो जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

1 मई, 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की गई थी।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के पाँच करोड़ बीपीएल (**Below Poverty Line-BPL**) महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करना है। हालाँकि हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में इस लक्ष्य को **5** करोड़ से बढ़ाकर **8** करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को तीन साल (**2019**) में पूरा करने का लक्ष्य तय किया जाएगा।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिये **1,600** रुपए की वित्तीय सहायता देगी।
- योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा।
- सरकार गैस स्टोव प्रदान करने और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिये ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- इस योजना को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा।
- केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से करेगी।

तवांग का रोडोडेंड्रॉन पार्क
(Tawang gets rhododendron park)

तवांग की घटती रोडोडेंड्रॉन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिये अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में एक रोडोडेंड्रॉन पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क में रोडोडेंड्रॉन की तकरीबन 30 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा।

रोडोडेंड्रॉन क्या है?

- उप-उष्णकटिबंधीय जंगलों की अल्पाइन झाड़ियों में विभिन्न प्रकार के रोडोडेंड्रॉन वृक्ष पाए जाते हैं, ये बौनी झाड़ियों से लेकर बड़े पेड़ों तक किसी भी रूप में हो सकते हैं।
- रोडोडेंड्रॉन की सबसे छोटी प्रजाति आर. नीवल और आर. पुमिलुम सिर्फ **10** से **50** सेंटीमीटर लंबी होती है।
- इसके विपरीत सबसे बड़ी प्रजाति आर. आर्बोरेटम **40** मीटर तक लंबी हो जाती है।
- रोडोडेंड्रॉन (**Rhododendron**), झाड़ी अथवा वृक्ष के समान ऊँचाई वाला पौधा होता है, इसे एरिकेसिई कुल (**Ericaceae**) में शामिल किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वृक्ष की सुंदरता और सुंदर गुच्छेदार फूलों के कारण यूरोप में इसे वाटिकाओं में भी लगाया जाता है।
- आरबोरियम रोडोडेंड्रॉन (**Rorboreum)** अपने सुंदर चमकदार गाढ़े लाल रंग के फूलों के लिये प्रसिद्ध है।
- पश्चिम हिमालय पर इसकी कुल चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसकी केवल एक प्रजाति रोडोडेंड्रॉन निलगिरिकम (**R. Nilagiricum)** नीलगिरि पर्वत पर पाई जाती है।

ये कहाँ पाए जाते हैं?

- पूर्वी हिमालय के ठंडे, नम ढलानों और गहरी घाटियों वाले क्षेत्र रोडोडेंड्रॉन प्रजातियों की उत्कृष्ट वृद्धि के लिये सबसे उपयुक्त आवास होते है।
- भारत में अरुणाचल प्रदेश रोडोडेंड्रॉन की **119** टैक्सा (**74** प्रजातियों, **21** उप-प्रजातियों और **24** किस्मों) के साथ सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है।
- इसके आलावा सिक्किम जैसा छोटा राज्य भी **42** टैक्सा (**25** प्रजातियों, **11** उप-प्रजातियों और **6** किस्मों) के साथ दूसरे स्थान पर आता है।
- इसके बाद इस क्रम में **11** टैक्सा के साथ नागालैंड का स्थान आता है।
- इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व के मणिपुर में **10** टैक्सा एवं मिज़ोरम में **4** टैक्सा पाई जाती हैं।

विश्व सतत् विकास सम्मेलन 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को राजधानी के विज्ञान भवन में विश्व सतत् विकास सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएस 2018) के 2018 वें संस्करण का उद्घाटन किया गया।

डब्लूएसडीएस

- डब्लूएसडीएस, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) का प्रमुख मंच है, जो सतत् विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं और विचारकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।

विषय

- इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन का विषय 'पार्टनरशिप फॉर ए रेज़िलिएंट प्लैनेट' है।

कार्य

- डब्लूएसडीएस, **2018** जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक 'एक्शन फ्रेमवर्क' बनाने का प्रयास करता है।
- शिखर सम्मेलन में भूक्षरण रोकने, शहरों को कचरे के ढेर से मुक्त बनाने के लिये प्रभावी कचरा निबटान प्रबंधन प्रणाली विकसित करने, प्रभावी ढंग से वायु प्रदूषण का मुकाबला करने, संसाधन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उपाय करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढने का रास्ता बनाने तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिये वित्तीय तंत्र बनाने जैसे बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

ओउमुआमुआ : सिगार के जैसा दिखने वाला अंतरिक्ष का 'घुसपैठिया'

वैज्ञानिकों द्वारा एक क्षुद्रग्रह जैसी एक अजीब वस्तु के विषय में जानकारी दी गई है, जो दिखने में बिल्कुल किसी सिगार के जैसी है। वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षुद्रग्रह जैसी अजीब वस्तु से टकराकर वापस आने वाली रोशनी के बाद इस बात का खुलासा किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षुद्रग्रह जैसे तत्त्व को 'ओउमुआमुआ' नाम दिया गया है। इसके विषय में सबसे रोचक बात यह है कि ओउमुआमुआ किसी अन्य सौरमंडल से आया है।
- अंतरिक्ष में इसके मार्ग से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति हमारे पड़ोसी सौरमंडल में नहीं हुई है।
- शुरूआत में ऐसा माना गया कि यह अजीब सी दिखने वाली वस्तु धूमकेतु हो सकती है। लेकिन इसमें धूमकेतु की विशेषताओं जैसे- धूल कण, बर्फ और गैस मिश्रित पुच्छल संरचना जैसा कुछ नहीं पाया गया।
- ओउमुआमुआ क्षुद्रग्रह जैसा है, लेकिन इसका आकार असामान्य है, क्योंकि इसे सिगार या खीरे जैसा बताया जा रहा है।
- वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अधिकतम लंबाई-चौड़ाई **200** मीटर बताई गई है। यह अन्य छोटे तारों (क्षुद्र ग्रहों) की तरह एक अंतराल पर घूमता हुआ नहीं पाया गया, बल्कि यह अव्यवस्थित तरीके से घूमता पाया गया।

ई-सिगरेट

ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ENDS) एक बैटरी संचालित डिवाइस है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के स्वाद के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल बनाता है, जो एक असली सिगरेट जैसा अनुभव देता है।

प्रमुख बिंदु

- निकोटीन वितरण के अलावा यह सिगरेट तंबाकू के धुएँ के समान स्वाद और शारीरिक संवेदन भी प्रदान करती है, जबकि इस क्रिया में किसी प्रकार धुँआ नहीं निकलता है।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक लंबी ट्यूब के जैसी होती है, इसका बाह्य आकार वास्तविक धुम्रपान उत्पादों जैसे सिगरेट, सिगार और पाइप की तरह होता है।
- चीन इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश है।
- भारत में ई-सिगरेट की बिक्री को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है। यही कारण है कि इसे बच्चे और किशोर आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पंजाब राज्य ने ई-सिगरेट को अवैध घोषित किया है।
- इसमें तरल निकोटीन का प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान में भारत में अपंजीकृत ड्रग के रूप में वर्गीकृत है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) एप और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** किसी भी **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)** से लैस एप के लॉन्च की अनुमति तभी देगा, जब एप इंटरऑपरेबिलिटी (अंतरसंक्रियता) के सिद्धांतों को पूरा करता हो।
- इंटरऑपरेबिलिटी का सीधा-सा मतलब यह है कि किसी भी एप एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस आईडी के माध्यम से धन भेजने और प्राप्त करने की तथा **BHIM** / भारत **QR** कोड उत्पन्न करने की क्षमता शामिल हो।
- **BHIM** का अर्थ है 'भारत इंटरफेस फॉर मनी'। **UPI** एक भुगतान प्रणाली है, जिसे **NPCI** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह भुगतान प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तत्काल धन स्थानांतरण की सुविधा देती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कावेरी जल विवाद

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच काफी लंबे समय से चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर **192** से **177.25 TMCFt** करते हुए यह हिस्सा कर्नाटक को आवंटित कर दिया है।
- हिस्सेदारी बढ़ जाने के बाद कर्नाटक को **270 TMCFt** की जगह **284.75 TMCFt** पानी मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने **1894** और **1924** के समझौतों को तथा उन्हें वैध ठहराने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को भी सही करार दिया है।
- कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जल योजना के लागू होने के बाद कोई भी राज्य किसी ऐसी नदी पर अपना एकछत्र अधिकार नहीं जता सकता, जो किसी राज्य में उद्गम होने के बाद किसी दूसरे राज्य से गुज़रती है।
- कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु को हर महीने दिये जाने वाले पानी को लेकर ट्रिब्यूनल का आदेश अगले **15** साल तक मान्य होगा।
- **TMCFt-** एक हजार मिलियन घन फीट का संक्षिप्त रूप है, जो किसी नदी या जलाशय में जल प्रवाह आयतन को संदर्भित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 18 फरवरी को लाल किले में 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का उद्घाटन किया।

थीम

- **8**वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स की थीम 'मैत्री का ध्वज' है।

लक्ष्य

- इसका लक्ष्य देशों के मध्य विद्यमान सीमाओं की दूरियों को पाटना और थिएटर कला के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं तथा विचारधाराओं को एक साथ लाना है।

प्रमुख बिंदु

- **51** दिनों तक चलने वाले इस समारोह को संस्कृति मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- थिएटर ओलंपिक्स, **2018** के अंतर्गत तकरीबन **450** कार्यक्रमों, **600** एंबियंस प्रदर्शनों एवं दुनियाभर के **25,000** कलाकारों की भागीदारी वाले **250** युवा फोरमों के साथ **17** भारतीय नगरों की यात्रा की जाएगी।
- इस समारोह का समापन **8** अप्रैल, **2018** को मुंबई के ऐतिहासिक 'गेट वे ऑफ इंडिया' पर एक भव्य समारोह के साथ किया जाएगा।

विश्व पर्यावरण दिवस 2018

विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम (स्वीडन) में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 119 देशों द्वारा भाग लिया गया तथा पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया।

- इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (**UNEP**) का जन्म हुआ तथा प्रति वर्ष **5** जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया।
- पिछले वर्ष कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, जबकि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस **2018** की वैश्विक मेज़बानी भारत को मिली है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के साथ-साथ राजनीतिक चेतना को जागृत करना है, ताकि समय रहते इस संदर्भ में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

थीम

- इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस, **2018** की थीम 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' है।

जल संसाधन पर दक्षिणी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 'जल संसाधनों पर दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री द्वारा की जाएगी।

- इस सम्मेलन में दक्षिण भारत के छह राज्यों - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व इन राज्यों के जल संसाधन मंत्रालयों के मंत्री, प्रधान सचिव और मुख्य अभियंता करेंगे।

उद्देश्य

- सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधन और राज्यों से जुड़े लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है।

अटल पेंशन योजना

असंगठित क्षेत्र में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2015 में 'अटल पेंशन योजना' (एपीवाई) की शुरुआत की गई थी।

- इसे 'राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र' के माध्यम से 'पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण' (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- गौरतलब है कि पी.एफ.आर.डी.ए. का उद्देश्य किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं किये गए अधिकतम लोगों को ए.पी.वाई. योजना के तहत कवर करना है, ताकि भारत एक राष्ट्र के रूप में पेंशन रहित समाज से पेंशन सेवा भोगी समाज की ओर अग्रसर हो तथा यहाँ के नागरिक वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
- ध्यातव्य है कि **18-40** वर्ष की आयु के नागरिक इस योजना में शामिल होने के लिये अर्ह है।
- इसके अंतर्गत **60** वर्ष की उम्र के पश्चात् पेंशनकर्त्ता को **1000-5000** रुपए प्रतिमाह तक के न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

अहिकुंताका समुदाय

श्रीलंका में अहिकुंताका (Ahikuntaka) समुदाय को कई नामों से जाना जाता है। सिंहली भाषा में इसे अहिकुंतका कहा जाता है, जबकि अन्य समुदायों में इन्हें 'कुरावर' (Kuravar) नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें 'कुथंदी' (Kuthandi), 'कुरवन' (Kurawan)' और 'कट्टुवसी' (Kattuvasi) जैसे नामों से भी जाना जाता हैं।

- इनकी आम भाषा तेलुगू है, लेकिन सिंहली और तमिल का भी काफी उपयोग किया जाता है।
- इस समुदाय का विभाजन जाति व्यवस्था के रूप में किया गया है; उच्च वर्ग को खेती के व्यवसाय के लिये जाना जाता है और निम्न जाति को कपड़े धोने और बालों को काटने जैसे व्यवसायों के लिये जाना जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अधिकांश गतिविधियों का विभाजन इन वर्गों द्वारा ही किया जाता है। इस कार्य में त्वचा और बालों के रंग की एक अहम भूमिका होती है।
- अहिकुंताका समुदाय की अपनी स्वयं की न्यायालय प्रणाली होती है, जिसमें शराब एक प्रमुख भूमिका निभाती है।
- महकन्दरावा (**Mahakandarawa) 34** परिवारों से बसा एक गाँव होता है। यहाँ दो वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ खुद को 'श्रीलंकाई तेलिंगु' कहते हैं और अन्य अपने मूल को प्राचीन जिप्सी मानते हैं।
- इस समुदाय का मुख्य आकर्षण सपेरे के रूप में कार्य करना तथा साँप के काटने एवं उसके ज़हर के लिये बेहतर दवाएँ बनाना है।
- इस समुदाय की प्रतिभा दो गुटों में विभाजित है। एक समुदाय सपेरों का है, जबकि दूसरा बंदर प्रशिक्षण समुदाय मद्दिली (**Maddili)** के रूप में जाना जाता है।

पूर्वोत्तर का पहला क्षेत्रीय कृषि केंद्र

7 मार्च, 2018 को मिज़ोरम में इज़राइल के सहयोग से पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र (Centre for Agriculture) का उद्घाटन किया जाएगा। 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र को विशेष रूप से खट्टे फलों (citrus fruits) के प्रसंस्करण के लिये स्थापित किया जा रहा है।

- यह परियोजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिज़ोरम राज्य सरकार और इज़राइली सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।
- इस परियोजना के लिये इज़राइल द्वारा विशेषज्ञता और व्यावसायिक समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। यह केंद्र पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
- वर्तमान में भारत में इस तरह के **22** परिचालन केंद्र मौजूद हैं, जिनमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं।

स्वच्छ ऊर्जा हेतु अगली पीढ़ी का टेक्नोलॉजी लूप

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उत्कृष्ट सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की गई है, जिससे सौर ताप सहित भविष्य के ऊर्जा संयंत्रों से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलेगी।

- यह अगली पीढ़ी का टेक्नोलॉजी लूप भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु द्वारा स्वदेश में विकसित किया गया है।
- यह अगली पीढ़ी के लिये भारत का पहला टेस्ट है, जो बिजली उत्पादन के लिये प्रभावी, सुगठित, जलरहित, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाईऑक्साइड ब्रेटन चक्र परीक्षण लूप है।
- संभवत: यह दुनिया का ऐसा पहला टेस्ट लूप है, जिसमें सौर ताप मुख्य स्रोत है।

फायर फाइटिंग बॉल

महाराष्ट्र सरकार द्वारा भीषण आग पर काबू पाने के लिये प्रयोग किये जाने वाले फायर फाइटिंग बॉल का उत्पादन किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि कई बार भारी यातायात के कारण अग्निशमन दल के कर्मचारियों को मौके पर पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में आग को समय से बुझा पाना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह तकनीक बेहद प्रभावी भूमिका निभाती है।

- इतना ही नहीं, कई बार तो आग बुझाने के लिये पानी की कमी जैसी आवश्यकताओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी किसी स्थिति में आग बुझाने में फायर फाइटिंग बॉल का इस्तेमाल काफी प्रभावी साबित होगा।

धनुष 2 बैलिस्टिक मिसाइल

भारतीय सेना द्वारा ओडिशा तट के पास परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का सफल परीक्षण किया गया। इसे नौसेना के पोत से भी छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित पृथ्वी मिसाइल का रूपांतर है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित मिसाइलों में से एक है।
- इससे पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों का प्रक्षेपण किया जा सकता है।
- एक चरण वाले द्रव्य से प्रणोदित धनुष मिसाइल को रक्षा सेवाओं में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

विशेषताएँ

- सतह-से-सतह पर वार करने में सक्षम।
- जमीन-समुद्र दोनों जगहों पर अपने लक्ष्यों को भेद सकती है।
- मारक क्षमता **350** से **500** किलोमीटर।

रुस्तम 2 फ्लाइट

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research & Development Organisation - DRDO) द्वारा देश में बने सबसे बड़े ड्रोन 'रुस्तम-2' का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में हाई पावर इंजन के साथ कर्नाटक के चित्रदुर्ग से इसका परीक्षण किया गया।

विशेषताएँ

- यह सिंथेटिक अपर्चर रडार, मेरीटाइम पेट्रोल रडार एवं टक्कर रोधी प्रणाली से युक्त है।
- यह एक मध्यम ऊँचाई वाला मानवरहित विमान है।
- यह निगरानी के साथ लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है।
- दुश्मन की टोह लेने, निगरानी रखने, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने तथा सिग्नल इंटेलिजेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
- तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा।

HIV/एड्स से पीड़ित लोगों के लिये वायरल लोड टेस्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में 'HIV/एड्स (People Living with HIV/AIDS - PLHIV) से पीड़ित लोगों के लिये वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ किया गया। इस पहल से देश में इलाज करा रहे 12 लाख PLHIV का नि:शुल्क वायरल लोड टेस्ट साल में कम-से-कम एक बार अवश्य कराया जा सकेगा।

- 'सभी का इलाज' (ट्रीट ऑल) के बाद वायरल लोड टेस्ट **HIV** से पीड़ित लोगों के इलाज एवं निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- वायरल लोड टेस्ट आर्ट से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों को फर्स्ट-लाइन इलाज की विफलता के बारे में पहले ही पता लगाने में सक्षम बनाएगा और इस तरह यह **PLHIV** को दवा का प्रतिरोध करने से बचाएगा।
- यह एल.एफ.यू. (**Loss to Follow Up - LFU) PLHIV** पर नज़र रखने के मामले में 'मिशन संपर्क' **(Mission Sampark)** को मज़बूत करने में भी मददगार साबित होगा।
- वर्ष **2017** में भारत ने एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी (**Antiretroviral Therapy - ART)** उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित किया था, ताकि 'आर्ट' वाले समस्त **PLHIV** के लिये 'ट्रीट ऑल' का शुभारंभ हो सके।
- यह 'ट्रीट ऑल' पहल इसलिये की गई थी, ताकि उपचार जल्द शुरू हो सके और व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों ही स्तरों पर वायरस के संचरण को कम किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मिशन संपर्क

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व एड्स दिवस, 2017 के अवसर पर 'मिशन संपर्क' (Mission Sampark) का शुभारंभ किया गया।

- इस मिशन के तहत ऐसे **HIV** से संक्रमित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जिन्होंने एक बार 'आर्ट' **(Anti retro Viral treatment)** के तहत अपना इलाज करने के बाद इसे बीच में ही छोड़ दिया है।
- इस दिशा में ज़रूरतमंद लोगों को **HIV** परीक्षण के लिये उनके निकट ही यह सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।
- इसके लिये 'समुदाय आधारित परीक्षण' की व्यवस्था की जा रही है ताकि ऐसे लोगों की तेज़ी से पहचान करते हुए इन्हें 'आर्ट' कार्यक्रम से जोड़ा जा सके।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना **2017-2024** के अंतर्गत न केवल **90:90:90** के लक्ष्य को अर्जित करने के लिये एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, बल्कि **2030** तक एड्स की महामारी समाप्त करने की रणनीति में तीव्रता लाने के लिये अपने साझेदारों के साथ मिलकर प्रयास भी किये जा रहे हैं।

बीईएस एक्सपो 2018

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टेरेस्ट्रीयल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण (Terrestrial and Satellite Broadcasting) के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी (International Conference & Exhibition) **बीईएस एक्सपो 2018** (BES EXPO 2018) का उद्घाटन किया गया।

विषय

- इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'नॉन लीनियर ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड बिज़नेस मॉडल' **(Non Linear Broadcasting Technologies & Business Models)** है।

प्रमुख बिंदु

- यह भारत में प्रसारण प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आयोजन है।
- भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या इस साल के अंत तक **53** करोड़ हो जाएगी जो कि चीन के बाद स्मार्टफोन के दूसरे सबसे ज़्यादा उपभोक्ता होंगे।
- वर्तमान में तकरीबन **40** प्रतिशत से अधिक सामग्री का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है। इस साल विज्ञापन पर होने वाला खर्च पिछले साल के **9.6** प्रतिशत से बढ़कर **12.5** प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

सृजन पहल

भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (Indian Railway Stations Development Corporation Limited - IRSDC) द्वारा देश भर में लगभग 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस व्यापक अभियान के तहत सभी हितधारकों यथा- रेल यात्रियों, शहरी नियोजकों, वास्तुकारों और अभियंताओं की सहायता एवं भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
- इस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय रेलवे में **635** स्टेशनों के विकास के लिये अभिनव विचारों (आइडिया) को आमंत्रित करने हेतु एक प्रतियोगिता 'सृजन' **(Station Rejuvenation through Joint Action - SRIJAN)** का शुभारंभ किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस पहल को माईगव पोर्टल पर शुरू किया गया है।
- इसके माध्यम से रेलवे स्टेशनों का डिज़ाइन तैयार करने तथा उनका एकीकृत प्रबंधन करने के संबंध में विचार आमंत्रित किये गए है।
- इसी संदर्भ में मार्च **2018** में एक 'वास्तुकार संवाद' **(Architect-Samvad)** आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2018

प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day - NSD) मनाया जाता है। इस वर्ष भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology - DST) एनएसडी समारोह का आयोजन कर रहा है।

- एनएसडी का आयोजन प्रत्येक वर्ष **28** फरवरी को 'रमन प्रभाव' की खोज का जश्न मनाने के लिये किया जाता है जिसकी सर सी.वी. रमन को नोबल पुरस्कार दिलाने में मुख्य भूमिका थी।

थीम

- एनएसडी **2018** की थीम 'एक टिकाऊ भविष्य के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' है, जिसका चयन विज्ञान से संबंधित मुद्दों के प्रति आम जागरूकता को बढ़ावा देना है।

नोडल एजेंसी

- डीएसटी की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) देश भर में, विशेष रूप से, वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं में एनएसडी समारोह का समर्थन, उत्प्रेरण एवं समन्वय करने की एक नोडल एजेंसी है।

प्रमुख बिंदु

- एनसीएसटीसी राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों तथा विभागों के माध्यम से व्याख्यानों, क्विज़, पैनल परिचर्चा, आदि का आयोजन करती है।
- इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार में असाधारण योगदान देने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये **2017** के पुरस्कृत व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत और विश्व

ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स- 2017

अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन **'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल'** द्वारा जारी **ग्लोबल करप्शन इंडेक्स**-2017 में भारत को **180 देशों की सूची में 81वें स्थान** पर रखा गया है, जबकि पिछले साल की रिपोर्ट में भारत को 176 देशों की सूची में 79वें स्थान पर रखा गया था। इस संगठन का मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में भारत को एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।
- इस सूचकांक को तैयार करने के लिये विभिन्न देशों को अलग-अलग मानकों पर **0** से **100** अंकों के बीच अंक दिये जाते हैं। शून्य अंक सबसे अधिक भ्रष्टाचार का संकेतक है तथा **100** अंक भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
- इस बार की सूची में भारत को पिछले वर्ष के बराबर ही **40** अंक दिये गए हैं। हालाँकि भारत की स्थिति में **2015** के बाद से सुधार हुआ है, जिसमें भारत को **38** अंक दिये गए थे।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विपक्षी नेताओं और यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन और नियामकीय एजेंसियों के अधिकारियों को भी धमकियाँ दी जाती हैं और ऐसा भी देखने में आया है कि कई जगह उनकी हत्या भी कर दी जाती है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये निम्नलिखित पाँच मुख्य सुझाव दिये हैं-

- स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र मीडिया, राजनीतिक असहमतियों तथा एक खुले और सक्रिय नागरिक समाज को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारों और व्यवसायों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- सरकारों को परंपरागत और नए मीडिया पर विनियमन को अधिक कठोर नहीं करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पत्रकार दमन अथवा हिंसा के भय के बिना काम कर सकें। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं को विकास सहायता या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुँच के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रासंगिकता पर भी विचार करना चाहिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

VIVID 2018 : ग्रासरूट इंफॉर्मेटिक्स पर राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) द्वारा ग्रासरूट इंफॉर्मेटिक्स- विविध 2018 (Grassroot Informatics- VIVID 2018) नामक राष्ट्रीय बैठक का 8 फरवरी से तीन दिवसीय आयोजन किया गया।

विविध 2018 (VIVID 2018)

- विविध **2018** की थीम 'साइबर सुरक्षा और नवाचार' है।
- इस राष्ट्रीय बैठक में व्यापक प्रासंगिक मुद्दों जैसे-उभरती हुई तकनीकों (इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन-लर्निंग एवं बिग डाटा एनालिटिक्स), साइबर खतरों और इससे पार पाने के उपायों (डिजिटलीकरण के प्रतिमान को बदलना और उसका सुरक्षा पर प्रभाव, साइबर सुरक्षा खतरा एवं साइबर अपराध), महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा (**Critical Information Infrastructure protection -NIC-CERT),** एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशंस (**Enterprise Level Applications)** और जिला सूचना अधिकारियों (**District Information Officers)** से संबंधित कई अन्य विषयों को शामिल किया जाएगा।
- **VIVID** इस वर्ष ज्ञान को साझा करने के लिये एक व्यापक मंच होगा, जो पूरे देश के **240 NIC** जिला अधिकारियों को एक-दूसरे के अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बातचीत तथा लाभ उठाने के लिये सक्षम करेगा।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre)

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र **(NIC)** की स्थापना **1967** में की गई थी और तब से यह केंद्र जमीनी स्तर से ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ डिजिटल अवसरों को बढ़ावा देते हुए सतत् विकास की दिशा में सक्रिय है।
- **NIC** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी **(ICT)** नेटवर्क **'NICNET'** के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, **36** राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और भारत के लगभग **708** ज़िला प्रशासनों के साथ संस्थागत रूप से संबद्ध है।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, ज़िलों और ब्लॉकों के स्तर पर ई- गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों को क्रियान्वित करने, लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में सुधार एवं व्यापक पारदर्शिता लाने, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देने, बेहतर दक्षता तथा जवाबदेहिता के साथ कार्य करने की दिशा में **NIC** बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत आवश्यक दवाओं और नि:शुल्क नैदानिक जाँच की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में **चार घटक** शामिल हैं। जिनके नाम हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये मानव संसाधन।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही ज़िला और उप ज़िला स्तर पर बुनियादी ढाँचा सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गतिविधियों में दो नए कार्यक्रम शामिल किये गए हैं। पहला कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष है, जिसका उद्देश्य **2020** तक सभी बच्चों तक पहुँचने के लिये अभिनव और नियोजित दृष्टिकोण के माध्यम से **90** प्रतिशत से अधिक नवजातों का पूर्ण टीकाकरण करना है।
- दूसरा **NHM** के अंतर्गत **2016** में शुरू की गई पहल कायाकल्प है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ-सफाई की आदत डालने, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण है।
- कायाकल्प के तहत प्रतिस्पर्द्धा के लिये पुरस्कार देना शुरू किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से लिया है और स्वच्छता मानकों में महत्त्वपूर्ण सुधार देखे जा रहे हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **1** जून, **2011** को गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये प्रारंभ।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, सामान्य प्रजनन के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

- इसका उद्देश्य **0** से **18** वर्ष के **27** करोड़ से भी अधिक बच्चों में चार प्रकार की परेशानियों की जाँच करना है। इन परेशानियों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जाँच शामिल है।
- कमियों से प्रभावित बच्चों को **NRHM** के तहत तृतीयक स्तर पर नि:शुल्क सर्जरी सहित प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **7** जनवरी, **2014** को **10-19** वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के लिये शुरू किया गया यह स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्य मुद्दों के अलावा पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन को लक्षित करेगा।
- इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत किशोर भागीदारी और नेतृत्व, समता तथा समावेशन, लिंग समानता एवं अन्य क्षेत्रों व हितधारकों के साथ सामरिक भागीदारी है।
- इसके तहत किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोग, लिंग आधारित हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त TB, एड्स, कुष्ठ और वेक्टर जनित रोगों से पीड़ित नागरिकों को नि:शुल्क इलाज़ उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (**RNTCP**)
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (**NVBDCP**)
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (**NLEP**)
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (**NACP**)

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष **1997** में राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन किया गया।
- इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकें।
- इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से त्रस्त लोगों को सुपर स्पेशिलिटी वाले अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रोगियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता एक मुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
- यह राशि उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित की जाती है जहाँ, रोगी का इलाज चल रहा होता है।
- आरएएन, सोसायटी की प्रबंध समिति सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, **1860** के प्रावधानों के तहत स्वायत्तशासी निकायों को रद्द करने के लिये बैठक करता है।

जनसंख्या स्थिरता कोष

- जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष) की स्थापना का उद्देश्य वर्ष **2045** तक सतत् आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी स्तर पर जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देना और इससे संबंधी कार्य करना है।
- जनसंख्या स्थिरता कोष को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- सरकार ने इसके लिये **100** करोड़ रुपए की समग्र निधि की व्यवस्था की है, ताकि कोष के कार्यकलापों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यह पूरा कर सके।
- जनसंख्या स्थिरता कोष को यह अधिदेश प्राप्त है कि वह ऐसी गतिविधियों को उत्प्रेरित करे, जो जनसंख्या स्थिर करने और इसे आम जनता के कार्यक्रम में परिवर्तित करने में सहायक हों।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, **2016** (आधार अधिनियम, **2016**) के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक **12** जुलाई, **2016** को की गई।
- एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के अधीन **2009** से ही इसके एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।
- बाद में सरकार द्वारा सरकारी कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके **12** सितंबर, **2015** को यूआईडीएआई को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध कर दिया गया।
- यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को 'आधार' नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या(यूआईडी) प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा फर्ज़ी पहचान समाप्त की जा सके।

आधार

- केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (**Unique Identification Authority of India-UIDAI**) द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान संख्या देने के लिये की गई थी।
- 'आधार' **12** अंकों की एक विशिष्ट संख्या वाला एक कार्ड है, जो विभिन्न सरकारी कामकाज में पहचान-पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- चूँकि इसमें बायोमैट्रिक पहचान शामिल होती है, इसलिये अब किसी व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारी **12** अंकों की इस संख्या के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है।
- इसमें उसका नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, उसके फिंगर-प्रिंट और आँखों की स्कैनिंग तक शामिल है।
- आज जिस स्वरूप में हम इसे देखते हैं, उसमें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

बायोमैट्रिक लॉकिंग सिस्टम

- आधार श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसके डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा के लिये बायोमैट्रिक लॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
- इसके तहत आधार की जानकारी लीक होने या किसी अन्य व्यक्ति को आपकी आधार संख्या की जानकारी का गलत फायदा उठाने से रोकने की व्यवस्था की जाती है।
- इस व्यवस्था के माध्यम से जब चाहे आधार जानकारी को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। एक बार जब बॉयोमैट्रिक डेटा लॉक करने के बाद कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसे अनलॉक न किया जाए।
- यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिये आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है।

जीआरआईपी पोर्टल (GRameen Internal audit Portal -GRIP)

- जीआरआईपी नाम का पोर्टल विकसित किया गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत ऑनलाइन जाँच व विवेचना करता है।
- मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये इसका उपयोग किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग हेतु एक मज़बूत व पारदर्शी जवाबदेही फ्रेमवर्क

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने सभी कार्यक्रमों के लिये एक सशक्त और ठोस जवाबदेही फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। यह फ्रेमवर्क सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 को ध्यान में रखते हुए पात्रता के सिद्धांत तथा सामाजिक समीक्षा, वित्तीय अंकेक्षक, भौगोलिक-टैगिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है।

निगरानी संस्थानों की प्रणाली

- विभाग में राष्ट्रीय स्तर की निगरानी संस्थानों की एक प्रणाली है। यह प्रतिवर्ष **2** बार देश के **600** ज़िलों का भ्रमण करती है और प्रतिदर्शों की जाँच करती है।
- सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये शोध तथा मूल्यांकन-अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) का मूल्यांकन आईआरएमए (**Institute of Rural Management Anand**) द्वारा, मनरेगा का मूल्यांकन आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली द्वारा तथा पीएमजेएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) का मूल्यांकन आईआईएम (**Indian Institutes of Management**), अहमदाबाद द्वारा किया गया है।
- यह समस्त विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मूल्यांकन कार्य का पहला भाग एनआईपीएफपी (**National Institute of Public Finance and Policy-NIPFP**) द्वारा पूरा किया गया है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज ने भी मनरेगा के संदर्भ में कई अध्ययन किये हैं। ये जानकारियाँ भी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
- एनआरएलएम-डीएवाई (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-दीनदयाल अंत्योदय योजना) के तहत स्वयं सेवी समूहों के **4.7** करोड़ सदस्यों से संबंधित जानकारियाँ सार्वजनिक की गई हैं।
- अप्रैल **2017** में एनआरएलएम-डीएवाई ने लेन-देन आधारित एमआईएस लॉन्च किया है। इस प्रणाली को **25** राज्यों में फैले **1400** ब्लॉकों में लागू किया गया है।

सलाहकार समूह का गठन

- योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन का सुझाव देने के लिये विभाग ने एक सलाहकार समूह का गठन किया है।
- समूह ने आंतरिक लेखापरीक्षकों के लिये एक प्रमाण-पत्र कार्यक्रम लॉन्च करने की सिफारिश की है।
- इसके लिये पाठ्यक्रम विकसित कर लिया गया है और जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, भारतीय आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान की सहायता से वर्तमान व अवकाश प्राप्त लेखा अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मियों के लिये प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। **2018-19** तक पाँच हज़ार प्रमाणित आंतरिक लेखपरीक्षक तैयार हो जाएंगे।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के मार्दर्शन में सामाजिक लेखा समीक्षा के लिये पहली बार लेखा मानकों को अधिसूचित किया गया है।

इक्विटी फंडों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर

- बजट **2018-19** में **14** वर्षों बाद पुनः इक्विटी और इक्विटी आधारित फंडों पर **10%** की दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (**Long-term Capital Gains-LTCG**) कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
- एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखे गए शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर निवेशकों को एक लाख रुपए से अधिक के लाभ पर **10%** की दर से **LTCG** कर का भुगतान करना होगा है।

LTCG क्या है?

- **LTCG** उन शेयरों या इक्विटी फंडों की बिक्री से अर्जित लाभ पर लिया गया कर है, जिन्हें किसी निवेशक द्वारा अपने पास **1** वर्ष से अधिक समय तक रखा हुआ है।
- वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने वालों को शेयरों की बिक्री से अर्जित लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होता है, जबकि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ अर्थात् **1** वर्ष से कम रोककर रखे गए शेयरों की बिक्री से अर्जित लाभ पर **15%** की दर से कर का भुगतान करना होता है।
- दूसरे शब्दों में, अगर शेयर खरीदे जाते हैं और बिक्री से पहले एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखे जाते हैं और उसके बाद जब उनकी बिक्री के दौरान कोई लाभ हो तो उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कहा जाता है और इस पर लगने वाले कर को **LTCG** कर के रूप में संदर्भित किया जाता है।

पोलियो-मुक्त होने के बावजूद भारत में पल्स पोलियो अभियान की आवश्यकता क्यों?

- **28** जनवरी को भारत ने अपने पल्स पोलयो अभियान- **2018** के दो राष्ट्रीय चरणों में से पहले चरण को कार्यान्वित किया। दूसरे चरण का क्रियान्वयन **11** मार्च को किया जाएगा।
- इन दो अभियानों के तहत **5** वर्ष से कम आयु वाले लगभग **17** करोड़ बच्चों तक ओरल पोलियो वैक्सीन (**Oral Polio Vaccine-OPV**) की पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पोलियो (पोलियोमाइलिटिस)

- यह एक संक्रामक रोग है, जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है, जो गले तथा आंत में रहता है। पोलियोमाइलिटिस एक ग्रीक शब्द पोलियो से आया है, जिसका अर्थ है 'भूरा', माइलियोस का अर्थ है मेरु रज्जु और आइटिस का अर्थ है प्रज्जवलन।
- यह आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैलता है। यह नाक और मुँह के स्राव से भी फैलता है।
- हालाँकि, यह मुख्यतः एक से पाँच वर्ष की आयु के बच्चों को ही प्रभावित करता है, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती है।
- पोलियो का पहला टीका जोनास सौल्क द्वारा विकसित किया गया था।
- गौरतलब है कि दक्षिण-पूर्व एशिया सहित भारत को वर्ष **2014** में पोलियो-मुक्त घोषित किया गया था।
- पोलियो-मुक्त होने के बावजूद भारतीय नीति-निर्माताओं द्वारा पोलियो पर इतना ध्यान इसलिये दिया जा रहा है क्योंकि पोलियो वायरस के भारत में वापस आने का खतरा है।

भारत में पल्स पोलियो अभियान की आवश्यकता

- वर्तमान में अन्य देशों से पोलियो वायरस के खिलाफ भारत का एकमात्र बचाव इसका सशक्त और सुस्पष्ट टीकाकरण कार्यक्रम है। नवजात शिशुओं के बीच टीकाकरण का अल्प अंतराल भी भारत में इस विषाणु के प्रवेश के लिये पर्याप्त हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त पोलियो वायरस के वापस आने का खतरा स्वयं **OPV** है। इस वैक्सीन में दुर्बल लेकिन जीवित पोलियो वायरस का प्रयोग किया जाता है, जो दुर्लभ मामलों में लकवाग्रस्त पोलियो (**Paralytic Polio**) का कारण बन सकता है।
- चूँकि टीका-जनित वायरस प्रतिरक्षित (**Immunized**) बच्चों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसलिये यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इससे टीका-व्युत्पन्न पोलियो वायरस (**vaccine-derived poliovirus-VDPV**) का खतरा बढ़ जाता है।
- बाह्य कारणों से होने वाले वन्य पोलियो (**Wild Polio**) की तरह ही **VPDV** भी कम प्रतिरक्षित (**Under-Immunised**) बच्चों को प्रभावित कर सकता है।
- इसी कारण दुनिया भर में पोलियो का उन्मूलन करने के लिये ओपीवी को निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (**Inactivated Polio Vaccine-IPV**) से प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।
- **IPV** के कारण **VPDV** की समस्या नहीं होती और यह पोलियो वायरस के विरुद्ध बच्चों की समान रूप से प्रतिरक्षा करता है।

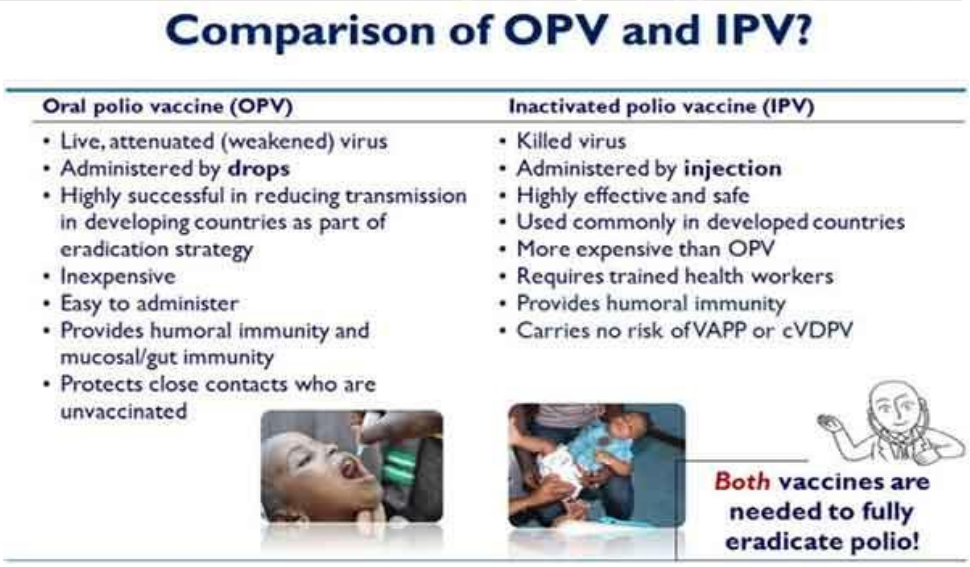

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान

- भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणामस्वरूप **1995** में पल्स पोलियो टीकाकरण (**PPI**) कार्यक्रम आरंभ किया।
- इस कार्यक्रम के तहत **5** वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके (**OPV**) की दो खुराकें दी जाती हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
(Prime Minister Krishi Sinchai Yojna)

- केंद्र सरकार ने सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत की।
- इसके अलावा सरकार 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने का लक्ष्य पाने के लिये संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत-स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित करने के लिये पाँच वर्षों में **50** हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है।
- हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल सिंचाई योजना को मज़बूत बनाने के लिये यह योजना सिंचाई से वंचित **96** जिलों में शुरू होगी। इसके लिये **2600** करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
(Deendayal Antyodaya Yojna - National Rural Livelihood Mission)

- दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- इस योजना में दो घटक हैं—एक ग्रामीण भारत के लिये तथा दूसरा शहरी भारत के लिये और यहाँ हम इसके ग्रामीण पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों के लिये कृषि और गैर-कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिये समर्पित घटक सहित महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में डीएवाई- एनआरएलएम लागू कर रही है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में विविधता लाने के लिये **4.5** करोड़ से अधिक महिलाओं को एसएचजी (**Self help group**) के तहत लाया गया।
- क्षमता विकास एवं कौशल प्रशिक्षण के ज़रिये आर्थिक गतिविधियों हेतु बैंक लिंकेज में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय विस्तार किया गया है।

स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी 'करंज' लॉन्च

- भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी (**Scorpene Class**) की अत्याधुनिक और स्वदेशी पनडुब्बी '**आईएनएस करंज**' (**INS Karanj**) को मुंबई में लॉन्च किया गया है। यह स्कॉर्पिन वर्ग की तीसरी पनडुब्बी है।
- नई पनडुब्बी का नाम **2003** में सेवा मुक्त किये गए कलवरी क्लास के 'आईएनएस करंज' के नाम पर रखा गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी 'करंज' को मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है।
- **67.5** मीटर लंबी, **12.3** मीटर ऊँची और **1565** टन वज़नी करंज टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइल से हमला करने और रडार को चकमा देने में सक्षम है।
- यह पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रहने में सक्षम है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन खत्म होने पर अंदर ही ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है।
- इसकी आवश्यकता ऐसे मौकों पर और बढ़ जाती है, जब चीन और पाकिस्तान की नौसेना हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है।

पृष्ठभूमि

- **प्रोजेक्ट 75 के तहत** मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (**MDL**), मुंबई द्वारा स्कॉर्पिन वर्ग की छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।
- स्कॉर्पिन वर्ग की पनडुब्बियाँ परंपरागत रूप से डीज़ल-इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली पनडुब्बियाँ होती है।
- इसके लिये अक्तूबर **2005** में फ्राँस के नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया था, जो स्कॉर्पिन श्रृंखला की पनडुब्बियों के निर्माण और आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण के लिये सहायता कर रहा है।
- पिछले वर्ष **14** दिसंबर, **2017** को स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी **'आईएनएस कलवारी'** को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- दूसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी **'आईएनएस खांदेरी'** जनवरी **2017** में लांच की गई थी, जो अभी परीक्षण से गुजर रही है और इस वर्ष के अंत में नौसेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा।
- **शेष तीन पनडुब्बियाँ वेला (Vela), वागीर (Vagir) और वाग्शीर (Vagsheer) अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं,** जिन्हें **2020** तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर ज़िलों के लिये 'आकांक्षापूर्ण ज़िलों का रूपातंरण' कार्यक्रम

पूर्वोत्तर के 14 ज़िलों को 'आकांक्षापूर्ण विकास' (Aspirational Development) के लिये चिह्नित किया गया है। ये 14 ज़िले देशभर के 106 ज़िलों से अलग हैं, जिन्हें नीति आयोग के तत्त्वावधान में 'आकांक्षापूर्ण ज़िलों का रूपातंरण' (Transformation of Aspirational Districts) कार्यक्रम के लिये चुना गया है।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

- 'आकांक्षापूर्ण ज़िलों के रूपातंरण' कार्यक्रम के तहत **14** ज़िलों में असम के ढोबरी, गोलपाड़ा, बारपेटा, दर्रांग, बकसा, उदालगुरी और हैलाकांडी; त्रिपुरा का ढलाई; मेघालय का रिबहोई; अरुणाचल प्रदेश का नमसाई; मणिपुर का चंदेल; मिज़ोरम का मामिट; नागालैंड का किफायर और सिक्किम का वेस्ट सिक्किम ज़िला शामिल है।
- इस परियोजना के लिये एक विस्तृत रोड-मैप तैयार कर लिया गया है। संबंधित ज़िले की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे घटकों के आधार पर तय की जाएगी।
- परियोजना के पहले चरण की एक विस्तृत रूपरेखा में यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में एक मैदानी सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जिले के लिये चार स्तरीय निरीक्षण प्रणाली तैयार की गई है, जिसके लिये केंद्र सरकार से एक केंद्रीय नोडल अधिकारी, संबंधित राज्य से एक राज्य नोडल अधिकारी, एक ज़िला नोडल अधिकारी/ज़िला अधिकारी और केंद्र से एक प्रभारी मंत्री को नियुक्त किया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- कार्यक्रम की पूरी अवधारणा इस समझ पर आधारित है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का समग्र विकास तभी संभव होगा जब सभी राज्यों के समस्त क्षेत्र और जिले युक्तिसंगत विकास दर से आगे बढ़ेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अभाव में अगर देश का एक भाग तेज़ी से विकास करता है तो दूसरे ज़िलों में विकास दर मामूली स्तर पर बनी रहेगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता के संदर्भ में राज्य और जिला स्तर पर कई तरह के अंतर व्याप्त हैं।
- विभिन्न ज़िलों के समान विकास को ध्यान में रखते हुए 'आकांक्षापूर्ण जिलों' के तौर पर रूपातंरण के लिये जिलों की पहचान की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में भौगोलिक और जलवायु संबंधी अनेक विविधताएँ मौजूद हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (**DoNER**) ने गत वर्ष 'पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की भी शुरूआत की थी।

पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Northeast Hill Area Development Programme)

- **5** जून, **2017** को मणिपुर की राजधानी इंफाल में पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 'पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)' की घोषणा की गई थी।
- मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न पहचान है और ये क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक विकास में पीछे छूट गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- पायलट परियोजना के तौर पर इसे मणिपुर के पहाड़ी जिलों से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मणिपुर के संबंध में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों का कम विकास हुआ है।
- विशेष परिस्थितियाँ होने के कारण पहाड़ी और घाटी वाले जिलों में आधारभूत ढाँचा, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि क्षेत्रों में बड़ा अंतर आ गया है। पहाड़ी विकास कार्यक्रम इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अधिक गंभीर अनुसंधान करने हेतु प्रेरित है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों, समाज के हर खंड और प्रत्येक जनजाति का समान विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ आठ पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत के अधिक विकसित राज्यों के समकक्ष लाना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिये शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था।
- इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष ज़ोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ ही व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत **24** लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा।
- कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा।
- कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को औसतन **8,000** रुपए प्रति प्रशिक्षु नकद पारितोषिक दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाज़ार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर ज़ोर होगा और विशेषकर कक्षा **10** व **12** के दौरान स्कूल छोड़ चुके छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा।
- केंद्र व राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के लिये जोड़ा जाएगा। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के लिये योग्य होने हेतु एक जाँच प्रक्रिया से गुज़रना होगा।
- इस योजना के तहत सेक्टर कौशल परिषद व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली

- कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण केंद्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। जहाँ तक संभव हो सके है इसके तहत प्रशिक्षण प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सिस्टम व वीडियो रिकॉर्डिंग को भी शामिल करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
- इसमें शिकायतों के निपटान के लिये एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया जाएगा।
- कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।
- कुल **1120** करोड़ रुपए के परिव्यय से **14** लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षा-प्रशिक्षण को चिन्हित करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- युवाओं को कौशल मेलों के ज़रिये आकर्षित किया जाएगा और इसके लिये स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
- इस दिशा में किये गए सभी उपायों को शामिल करने के लिये एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गई है।
- इस नीति के ज़रिये उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस प्रकार वर्ष **2022** तक **50** करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिये केंद्र और राज्य स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत ढाँचा प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में शुरू किया गया।
- इस मिशन में त्रि-चरणीय, उच्चाधिकार प्राप्त निर्णय लेने संबंधी ढाँचा होगा। शीर्ष पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मिशन की गवर्निंग काउंसिल होगी, जो समग्र मार्गदर्शन एवं नीतिगत दिशा प्रदान करेगी।
- कौशल विकास के प्रभार वाले मंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन समिति गवर्निंग काउंसिल के निर्देशन पर मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी।
- यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में निदेशालय, सचिव कौशल विकास, मिशन निदेशक के रूप में कौशल संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, समन्वयन एवं अभिसरण सुनिश्चित करेंगे।
- मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी संचालित करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मौलिक रूप से निर्णय लेने वाले सभी स्तरों को जोड़ते हुए तथा समस्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में संबंध को सुगम बनाते हुए मिशन के लिये स्वाभाविक आश्रय उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2015

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का लक्ष्य, सभी व्यक्तियों को अच्छे रोज़गार सुलभ कराने तथा विश्व बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिये उन्हें उन्नत कौशल, ज्ञान तथा योग्यताओं के माध्यम से सक्षम बनाना है।
- यह नीति सभी को, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं तथा वंचित वर्गों को कौशल प्रदान/प्राप्त करने के लिये अवसरों का सृजन करने, सभी स्टेकधारियों द्वारा अपनी कौशल विकास पहल की वचनबद्धता को बढ़ावा देने और सबसे महत्त्वपूर्ण रूप में बाज़ार की वर्तमान तथा बढ़ रही रोज़गार संबंधी आवश्यकताओं से संबद्ध उच्च स्तर के कुशल कार्य-बल/उद्यमियों के विकास पर ज़ोर देती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)/आई.टी.सी. (औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र)/व्यावसायिक स्कूल/तकनीकी स्कूल/पोलिटेक्निक/व्यावसायिक कॉलेज आदि तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित प्रांतीय कौशल विकास के अध्ययन प्रवर्तन; उद्यमों द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षुता एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण; स्व-रोज़गार/उद्यम विकास के लिये प्रशिक्षण; अनौपचारिक प्रशिक्षण; ई-लर्निंग; वेब आधारित अध्ययन तथा दूरस्थ अध्ययन सहित संस्था आधारित कौशल विकास शामिल है।

राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान

- **10** फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान के तहत देश के **32** करोड़ बच्चों को फायदा मिलेगा।
- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है।

पृष्ठभूमि

- **2015** में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसे **11** राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के ज़रिये **1** से लेकर **19** वर्ष की उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर क्रियान्वित किया गया।
- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के इस चरण में **32** करोड़ बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस

- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस एक दिन का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता तक पहुँच, पोषण संबंधी स्थिति एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिये बच्चों को परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिये दवा उपलब्ध कराना है।
- इस कार्यक्रम में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से **1-19** वर्ष की आयु समूह के स्कूल और आंगनवाड़ी से जुड़े सभी बच्चों को शामिल किया जाता है।
- बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिये एलबेंडाजोल नामक टैबलेट दी जाती है।
- यह कार्यक्रम हर वर्ष **10** फरवरी और **10** अगस्त को आयोजित किया जाता है। अगर कोई भी बच्चा किसी वजह से, खासतौर से गैरहाजिर होने या बीमार होने से राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस में नहीं शामिल हो पाया तो उसे **15** फरवरी को दवा दी जाती है।
- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और दूसरे हितधारकों को मिट्टी-संचारित कृमि संक्रमण के खात्मे के लिये प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (**National Productivity Council-NPC**) द्वारा **12** से **18** फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया।
- यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की **60**वीं वर्षगाँठ है और इसे हीरक जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह-**2018** की थीम 'उद्योग **4.0**, भारत के लिये बड़ी छलाँग लगाने का अवसर' है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

- भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिये औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (**DIPP**) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन **NPC** राष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्त संगठन है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारत सरकार ने वर्ष **1958** में एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर इसकी स्थापना की थी। यह एक बहुपक्षीय, गैर-लाभकारी संगठन है।
- **NPC** सरकार की उत्पादकता संवर्द्धन योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है। टोक्यो आधारित एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाईज़ेशन (**APO**) एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है। **APO** के एक घटक के रूप में **NPC** इसके कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करता है।
- **NPC** अपने ग्राहक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके, प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़े, लाभांश में वृद्धि हो, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता कायम की जा सके और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- परिषद का प्रयास अपने हितधारकों के समग्र विकास के लिये आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यों को सुधारते हुए समग्र रूप से उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है।
- केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री **NPC** के प्रधान हैं और **DIPP** के सचिव इसके अध्यक्ष हैं।
- नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ ही **NPC** के **13** क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राज्यों की राजधानियों/औद्योगिक केंद्रों में स्थित हैं तथा इसके **140** पूर्णकालिक परामर्शदाता हैं।
- इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की आवश्यकता के आधार पर बाहर के विशेषज्ञों और संकायों की सेवाएँ भी ली जाती हैं।

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति अथवा उद्योग 4.0

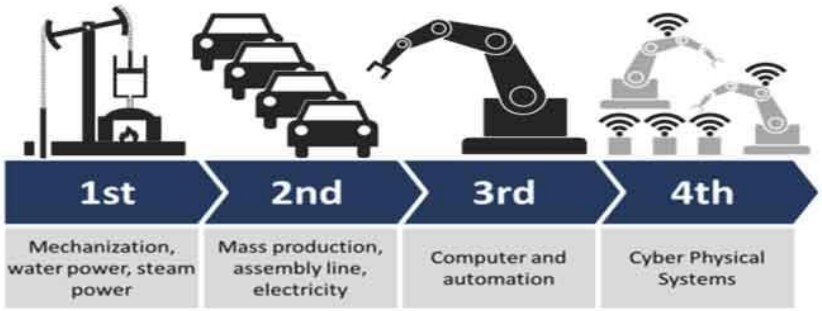

- पहली औद्योगिक क्रांति जल व भाप की शक्ति से हुई थी। दूसरी विद्युत ऊर्जा से, तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी जनित है।
- आने वाली औद्योगिक क्रांति में आइटी व विनिर्माण सेक्टर को मिलाकर कार्य होगा। अमेरिका और जर्मनी ने **2010** के बाद इस पर कार्य शुरू किया।
- उद्योग **4.0** विश्व आर्थिक फोरम की **2016** में आयोजित वार्षिक बैठक की थीम थी, जिसके बाद चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विचार तेजी से प्रसिद्ध होता गया।
- उद्योग **4.0** विश्वभर में एक शक्तिशाली बल के रूप में उभर कर सामने आया है और इसे अगली औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है।
- यह मुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (**IoT**), अबाधित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और **3**डी प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार के मॉडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
- उद्योग **4.0** के अंतर्गत निर्माण में परंपरागत और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर वास्तविक तथा आभासी विश्व का गठजोड़ किया जाएगा। इसके परिणाम 'स्मार्ट फैक्टरी' के रूप में सामने आएंगे, जिनमें कई उपलब्ध कौशल और संसाधनों का बेहतर एवं दक्ष प्रयोग, दक्षता योग्य डिजाइन और व्यापारिक भागीदारों के बीच सीधा संपर्क संभव हो सकेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत फार्मा और भारत चिकित्सा उपकरण 2018

15 से 17 फरवरी के बीच बंगलुरु में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals) द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) के साथ मिलकर 'भारत फार्मा और चिकित्सा उपकरण 2018' (India Pharma & India Medical Device 2018) सम्मेलन का आयोजन किया गया।

विषय

- इस सम्मेलन का विषय 'सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा' **(Affordable and Quality Healthcare)** है।

प्रमुख बिंदु

- अपनी तरह का यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।
- 'ड्राइविंग नेक्स्ट जेन फार्मास्यूटिकल्स' **(Driving NextGen Pharmaceuticals)** पर आधारित यह सम्मेलन भविष्य में उन्नत किस्म की दवाओं अर्थात् बायोलॉजिक्स के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ

- यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष **1927** में गांधी जी की सलाह पर घनश्यामदास बिड़ला तथा पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के द्वारा की गई थी।
- यह एक गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योगों की दक्षता एवं इनकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है। साथ ही यह विशेष सेवाओं एवं वैश्विक संबंधों की एक श्रृंखला के माध्यम से घरेलू एवं विदेशी बाज़ारों में व्यापार के अवसरों के विस्तार का कार्य भी करता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.) भारत सरकार के 'रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय' के अंतर्गत कार्यरत 'फार्मास्यूटिकल्स विभाग' द्वारा प्रारंभ की गई है।
- इसका लक्ष्य 'प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र' के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है।
- इन जन औषधि केंद्रों को गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महँगी ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य जेनेरिक दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया है।
- इस परियोजना का मूल उद्देश्य है- **"Quality Medicines at Affordable Prices for All"**।
- इस योजना के उत्पाद बास्केट का विस्तार कर इसमें **652** दवाओं और **154** सर्जिकल एवं उपभोग्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी चिकित्सीय श्रेणियों जैसे कि संक्रमण रोधी, मधुमेह रोधी, हृदय रोग संबंधी, कैंसर रोधी, जठरांत्र संबंधी दवाओं इत्यादि को कवर किया गया है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)

- एनपीपीए भारत सरकार का एक संगठन है, जिसे थोक दवाओं और फॉर्मूलों की कीमतों को व्यवस्थित करने/संशोधित करने और दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, **1995** के तहत देश में दवाइयों की कीमतों और इनकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिये स्थापित किया गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख कार्य

- इसका कार्य दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को कार्यान्वित करना और उन्हें लागू करना है।
- प्राधिकरण के निर्णय से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों का निपटान करना।
- दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखना, दवाओं की कमी की स्थिति का अवलोकन करना तथा आवश्यक कदम उठाना। थोक दवाओं और फॉर्मूलों के उत्पादन, निर्यात और आयात, कंपनियों की बाज़ार में हिस्सेदारी, मुनाफे आदि के संबंध में आँकड़ों को एकत्रित करना/व्यवस्थित करना।
- दवाओं/फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य निर्धारण के संबंध में संबंधित अध्ययनों को आयोजित करना।
- सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की भर्ती/नियुक्ति करना।
- दवा नीति में परिवर्तन/संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- नशीली दवाओं के मूल्य से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करना।

राजस्थान में स्वजल योजना की दूसरी परियोजना

केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राजस्थान में करौली ज़िले के भीकमपुरा गाँव में स्वजल पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना से पूरे वर्ष स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के अलावा रोज़गार के अवसर उत्पन्न किये जाएंगे।

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस परियोजना की प्रगति पर नज़र रखेगा।

स्वजल परियोजना

- स्वजल परियोजना सतत् पेयजल आपूर्ति के लिये समुदाय के स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का **90** प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी और शेष **10** प्रतिशत समुदाय के योगदान से व्यय किया जाएगा।
- परियोजना के परिचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों की होगी।
- योजना के अनुसार गाँवों में चार जलाशयों का निर्माण किया जाएगा और लगभग **300** आवासों में नल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- परियोजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में दीर्घकालीन स्थायित्व को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार को उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है।
- इसके तहत गाँव के हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसके रखरखाव व प्रबंधन के खर्च को ग्रामवासियों द्वारा वहन करने योग्य बनाना अर्थात् इस संबंध में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र

शिपिंग मंत्रालय द्वारा आईआईटी चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts - NTCPWC) की आधारशिला रखी गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत की गई।
- यह बंदरगाहों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य संस्थानों के लिये इंजीनियरिंग व तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्रदान करने हेतु शिपिंग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा।

इसकी उपयोगिता क्या है?

- यह सागर, तटीय और एस्ट्रिन फ्लो (**coastal and estuarine flows**), तलछट परिवहन एवं मोर्फोडायनामिक्स (**sediment transport and morphodynamics**), नेविगेशन और क्रियान्वयन (**navigation and maneuvering**), ड्रेजिंग तथा गाद (**dredging and siltation**), बंदरगाह और तटीय इंजीनियरिंग संरचनाओं (**port and coastal engineering-structures**) एवं ब्रेकवाटर (**breakwaters**), स्वायत्त प्लेटफॉर्मों और वाहनों के प्रायोगिक (**autonomous platforms and vehicles**), 2डी व 3डी मॉडलिंग के क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुसंधान को जारी रखेगा।
- साथ ही यह प्रवाह की सीएफडी मॉडलिंग (**CFD modeling of flow**), पतवार संबंधी कामों और महासागर नवीकरणीय ऊर्जा के हाइड्रोडायनामिक्स को लेकर पारस्परिक संवाद का काम करेगा।
- यह केंद्र स्वदेशी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, यह तकनीकी दिशा-निर्देशों, मानदंडों और पोर्ट संबंधी समस्याओं व समुद्री मसलों को मॉडल तथा सिमुलेशन के साथ रेखांकित करेगा।
- यह केंद्र न केवल नई तकनीक और नवाचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि अपने सफल व्यवसायीकरण के लिये भी काम करेगा।
- यह शिपिंग मंत्रालय में काम कर रहे लोगों के लिये तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर भी मुहैया कराएगा।

परियोजना का क्रियान्वयन कैसे होगा?

- एनटीसीपीडब्ल्यूसी को स्थापित करने में **70.53** करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसे शिपिंग मंत्रालय, आईडब्ल्यूएआई और बड़े बंदरगाहों द्वारा साझा किया जाएगा।
- शिपिंग मंत्रालय एफआरएफ (**Field Research Facility - FRF**), अवसादन और क्षरण प्रबंधन टेस्ट बेसिन (**Sedimentation and Erosion Management Test Basin**), शिप/टॉ सिम्युलेटर (**Ship/Tow Simulator**) जैसी सुविधाएँ मुहैया कराने में पूंजीगत व्यय के लिये अनुदान उपलब्ध कराएगा।

सागरमाला परियोजना क्या है?

- सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत **25** मार्च, **2015** को की गई थी। इसे भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है।
- भारत के **7,500** किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्रों, **14,500** किलोमीटर संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीतिक स्थानों के दोहन के उद्देश्य से सरकार ने महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तैयार किया है।
- सागरमाला कार्यक्रम में एनपीपी के तहत तटीय और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिये वृहत् योजना तैयार की गई है।
- एनपीपी ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों के विकास, बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण एवं तटीय समुदाय विकास के क्षेत्र में **150** से अधिक परियोजनाओं की पहचान की है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा बंदरगाहों तक माल के तेज़, दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से आवागमन के लिये आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।
- सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इंटर-मॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुँच विकसित करना, श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना, मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधार तथा रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है।

आवास एवं टिकाऊ शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट-III)

- इक्वाडोर के क्यूटो में अक्तूबर **2016** में आयोजित 'आ वास एवं टिकाऊ शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट-**III**)' में 'नया शहरी एजेंडा' अपनाया गया।
- यह संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट सम्मेलन प्रत्येक बीस वर्ष में आयोजित किया जाता है, जो इससे पहले वैंकूवर (**1976**) और इस्तांबूल (**1996**) में आयोजित किया गया था।
- 'नया शहरी एजेंडा' शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये एक **175** प्रतिबद्धताओं का सेट है, जो **20** वर्षों के संधारणीय शहरीकरण के लिये वैश्विक दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-

- सभी नागरिकों के लिये आधारभूत सेवाएँ प्रदान करना जैसे-आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा।
- नया शहरी विकास एजेंडा सभी नागरिकों के लिये बिना भेदभाव के समान अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यह महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, वंचितों, नृजातीय वर्गों आदि सभी की आवश्यकताओं पर ध्यान देने का निर्देश देता है।
- यह एजेंडा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम कर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कार्रवाई करता है। इस संबंध में यह स्थानीय सरकारों और समाजों को पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करने का निर्देश देता है।
- यह एजेंडा स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने, बेहतर और अधिक हरित परिवहन व्यवस्था के विकास, संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्धता ज़ाहिर करता है।
- जोखिम और आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिये बेहतर शहरी नियोजन एवं गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढाँचा विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इस प्रकार यह 'नया शहरी एजेंडा' ऐसे शहरों के निर्माण के लिये रोडमैप तैयार करता है, जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण के केंद्र के रूप में कार्य कर सके।
- भारत भी यू.एन हैबिटेट का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990

- प्रसार भारती अधिनियम, **1990** के अनुसार रेडियो एवं दूरदर्शन का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाएगा, जिसे एक **15** सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा।
- बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य, एक कार्मिक सदस्य, छह अंशकालिक सदस्य, एक-एक पदेन महानिदेशक (आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिये), सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा दो अन्य प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया।
- इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रसार भारती बोर्ड सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगा और वर्ष में एक बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

दो समितियों का गठन

- अधिनियम के अंतर्गत प्रसार भारती बोर्ड की स्वायत्तता हेतु दो समितियों- 'संसद समिति' और 'प्रसार भारती परिषद समिति' के गठन का भी प्रावधान किया गया।
- 'संसदीय समिति' के अंतर्गत लोकसभा के **15** एवं राज्सभा के **7** सदस्य शामिल होंगे, जबकि 'प्रसार भारती परिषद समिति' के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त **11** सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

प्रसार भारती के उद्देश्य

- देश की एकता एवं अखंडता तथा संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक मूल्यों को बनाए रखना।
- सार्वजनिक हित के सभी मामलों की उचित एवं संतुलित रूप में सत्य तथा निष्पक्ष जानकारी जनता को उपलब्ध कराना।
- शिक्षा एवं साक्षरता की भावना का प्रचार-प्रसार करना।
- विभिन्न भारतीय संस्कृतियों एवं भाषाओं में समाचारों का प्रसारण सुनिश्चित करना।
- महिलाओं की वास्तविक स्थिति एवं समस्याओं पर प्रकाश डालना, ताकि समाज को इस विषय में अधिक-से-अधिक जागरूक बनाया जा सके।
- युवा वर्ग की आवश्यकताओं के संबंध में ध्यानाकर्षित करना।
- छुआछूत, असमानता एवं शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- बच्चों एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना।

मिशन स्किल इंडिया

- देश के कामगारों को दक्ष और कुशल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **15** जुलाई, **2015** को लगभग **40** करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष **2022** तक प्रशिक्षित करने के लिये स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों के भीतर छिपे कौशल को विकसित करना।
- योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी उन्मूलन करना।
- गरीबी को दूर करने के साथ-साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में आत्मविश्वास जगाना तथा देश में नई ऊर्जा लाने का प्रसार करना।
- भारत की लगभग **65%** जनसंख्या (जिनकी आयु **35** वर्ष से कम है) को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये कौशल एवं अवसर प्रदान करना।
- देश के युवाओं और नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराने और उन्हें रोज़गार के योग्य बनाने के लिये एक व्यवस्था के निर्माण को प्राथमिकता देना।
- आने वाले दशकों में विश्व में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विश्व के रोज़गार बाज़ार का अध्ययन कर उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कुशल बनाना।
- देश के युवा जिस कौशल (जैसे-ड्राइविंग, टेलरिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, मैकेनिक, हेयर कटिंग, आदि) को परंपरागत रूप से जानते हैं, उसे और निखारकर व प्रशिक्षित कर सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना।
- कौशल विकास के साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना।
- सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महानदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। न्यायाधिकरण संपूर्ण महानदी बेसिन में पानी की उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बँटवारा निर्धारित करेगा।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कानून, 1956

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (**Inter-State River Water Disputes -ISRWD**) कानून, **1956** के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे।
- इसके अलावा, जल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलनकर्त्ताओं की सेवाएँ न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिये प्रदान की जाएंगी। इन आकलनकर्त्ताओं को जल संबंधी संवेदनशील मुद्दों को निपटाने का अनुभव होगा।
- आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, **1956** के प्रावधानों के अनुसार. न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे, जिसे अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा किये जाने की आशा है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

- इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारों के लिये अलग-अलग अधिकरणों की जगह एक स्थायी अधिकरण (विभिन्न पीठों के साथ) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य शामिल होंगे।
- अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को पाँच वर्ष अथवा **70** वर्ष तय किया गया है।
- अधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल जल विवादों के निर्णय के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगा।
- इसके अतिरिक्त अधिकरण को तकनीकी सहायता देने के लिये आकलनकर्त्ताओं (केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा में सेवारत विशेषज्ञ) की भी नियुक्ति की जाएगी।
- जल विवादों के निर्णय के लिये कुल समयावधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष तय की गई है। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। साथ ही इसके निर्णयों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद **262** में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद **262 (2)** के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- विदित हो कि अनुच्छेद **262** संविधान के भाग **11** का हिस्सा है, जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद **262** के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, **1956** को लाया गया। इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (**1896**)**:** इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (**1941**)**:** यह सिद्धांत**,** नदी जल के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत: इसमें ज़रूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है**,** उदाहरण के लिये- भारत के संदर्भ में सिंधु**,** कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है। परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत (**1997**)**:** इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

महानदी की भौगोलिक स्थिति

- यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को महानंदा एवं नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है।
- महानदी का प्रवाह दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर है।
- महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप अवस्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी (धमतरी ज़िला) से होता है। सिहावा से निकलकर राजिम में यह पैरी और सोंदुर नदियों से जल ग्रहण कर विशाल रूप धारण करती है।
- इसके बाद यह आरंग और सिरपुर से बहती हुई शिवरी नारायण में पहुँचती है**,** यहाँ यह अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है।
- शिवरी नारायण (एक धार्मिक नगर) से यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने की बजाय पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है।
- संभलपुर ज़िले में प्रवेश करने के साथ यह ओडिशा में बहने लगती है तथा बलांगीर और कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। महानदी के समस्त प्रवाह का सबसे अधिक भाग छत्तीसगढ़ में बहता है।
- महानदी के तट पर धमतरी**,** कांकेर**,** चारामा**,** राजिम**,** चंपारण**,** आरंग और सिरपुर आदि नगर बसे हुए हैं।
- पैरी**,** सोंदुर के अलावा शिवनाथ**,** हंसदेव**,** अरपा**,** जोंक और तेल आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं।
- इतना ही नहीं**,** इस पर हीराकुंड**,** रुद्री और गंगरेल जैसे महत्त्वपूर्ण प्रमुख बांधों का भी निर्माण हुआ हैं।

देश के सत्रह राज्यों में लिंगानुपात के हालात चिंताजनक

नीति आयोग द्वारा देश में लिंगानुपात की स्थिति (जन्म के समय लिंगानुपात के संदर्भ में आँकड़ाबद्ध जानकारी प्रस्तुत की। इस जानकारी के अनुसार, देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। आयोग के अनुसार, देश में सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति गुजरात की है।

प्रमुख बिंदु

- गुजरात में लिंगानुपात की दर में **53** अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद क्रमश: हरियाणा (**35** अंकों)**,** राजस्थान (**32** अंकों)**,** उत्तराखंड (**27** अंकों)**,** महाराष्ट्र (**18** अंकों)**,** हिमाचल प्रदेश (**14** अंकों)**,** छत्तीसगढ़ (**12** अंकों) तथा कर्नाटक (अंकों) का स्थान आता है।
- 'हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया' नामक इस रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा भ्रूण परीक्षण कराने तथा इसके पश्चात् गर्भपात कराए जाने वाले मामलों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विशेष बल दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार**,** गुजरात में लिंगानुपात की दर प्रति एक हज़ार लड़कों पर **854** लडकियाँ हो गई हैं**,** जबकि पहले यह दर एक हज़ार लड़कों पर **907** लड़कियाँ थीं। इसके अंतर्गत वर्ष **2012-14** से **2013-15** के मध्य **53** अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार**,** बहुत से सरकारी प्रयासों के बावजूद हरियाणा राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट का क्रम अभी भी जारी है।
- इसके अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में हालत और भी चिंताजनक है। उत्तराखंड में **27** अंकों एवं हिमाचल प्रदेश में **14** अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में भी जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति में क्रमश : **10** अंकों एवं **9** अंकों का सुधार देखा गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय केला मेला, 2018

उष्णकटिबंधीय विकसित देशों में केला एवं प्लैंटेंस (Banana and plantains) फाइबर युक्त एक मुख्य खाद्य फसल है। लगभग चार हज़ार वर्ष से इसकी खेती की जा रही है। केले का मूल उत्पादन स्थल भारत है तथा भारत के उष्णकटिबंधीय उप-कटिबंधीय तथा तटीय क्षेत्रों में व्यापक पैमाने में इसकी खेती की जाती है।

- भारत, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत में **0.88** मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में **29.7** मिलियन टन केले का उत्पादन होता है। भारत में केले की उत्पादकता **37** मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है।

इस संदर्भ में आने वाली समस्याएँ एवं समाधान

- मूसा नामक जंगली प्रजाति और उसकी सहायक किस्में जैविक एवं अजैविक दबावों के विपरीत प्रतिरोधात्मक क्षमता सृजित करने के लिये महत्त्वपूर्ण स्रोतों का निर्माण करती है।
- केले तथा प्लैंटेंस के प्रजनन में उनकी अपनी अंतःनिर्मित समस्याएँ हैं तथा अनुमानित परिणामों को प्राप्त करने के लिये वर्तमान जैव प्रौद्योगिकी उपकरण/कार्यनीतियाँ इस समस्या के समाधान में सहायक हो सकती हैं तथा इसका वास्तविक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा।
- वर्ष **2050** में **60** मिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य के साथ उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशी प्रबंधन एवं टीआर**4** जैसी बीमारियों के उपचार और आदान लागतों में वृद्धि जैसी बृहत् उत्पादन समस्याओं का समाधान केले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare - MoA&FW) के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (National Agriculture Science Complex - NASC), पूसा (नई दिल्ली) में 'कृषि 2022 - किसानों की आय दोगुनी करने' के विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में ऐसे उपयुक्त सुझावों पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना है, जो वर्ष **2022** तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के सरकार के दृष्टिकोण को आकार प्रदान करने और उसे धारदार बनाने में मदद करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन में चर्चा का मुख्य केंद्र कृषिक्षेत्र के मानवीय पहलू यानी किसान के संदर्भ में विचार-विमर्श करना है।
- इसके अंतर्गत सात व्यापक विषयों की पहचान की गई है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ उप-विषयों (अनुलग्नक-**I**) को भी शामिल किया गया है।

अशोक दलवाई समिति

- **13** अप्रैल, **2016** को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।
- इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य।
- इस सामरिक ढाँचे को लेकर चार चिंताएँ भी थीं, जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुनः मज़बूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी ज़ोर दिया गया था, जिससे **2015-16** के आधार वर्ष पर वर्ष **2022-23** तक किसानों की दोगुनी आय में **10.41%** की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष **2002-03** से **2012-13** और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रतिवर्ष मात्र **3.5%** की दर से वृद्धि हुई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

विश्व में नारियल उत्पादन और उत्पादकता में भारत अग्रणी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board's - CDB) की प्रमुख योजनाओं का मुख्य फोकस बिहार में नारियल के उत्पादन, उत्पादकता, नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन एवं निर्यात में वृद्धि करना है।

नारियल विकास बोर्ड

- नारियल विकास बोर्ड (सीबीडी) देश में नारियल की खेती और उद्योग के समेकित विकास के लिये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- इसका कार्य रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, नारियल के तहत क्षेत्र के विस्तार, उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हेतु एकीकृत खेती जैसी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना जैसे-नारियल पानी, खोपरा, नारियल तेल, कच्ची गिरी, नारियल केक आदि नारियल उत्पादों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराना है।
- इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी आदि के विषय में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

लक्ष्य

- नारियल विकास बोर्ड का लक्ष्य नारियल कृषकों को नारियल के उत्पादन, प्रक्रमण, विपणन और नारियल एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में सहायता देकर भारत को नारियल के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं निर्यात में अग्रणी बनाना है।

प्रमुख क्षेत्र

- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि करना।
- नारियल के अधीन अधिकाधिक क्षेत्र को कवर करते हुए उसकी भावी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।
- वर्तमान नारियल जोतों की उत्पादकता में सुधार करना।
- मुख्य पीड़कों और रोगों का एकीकृत प्रबंधन करना।
- उत्पाद विविधीकरण और उपयोगिता को बढ़ावा देकर नारियल उद्योग को मज़बूती प्रदान करना।

नारियल पेड़ बीमा योजना

नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल एवं इससे संबद्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है।

- प्राकृतिक तथा अन्य खतरों से नारियल कृषकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नारियल के पेड़ों का बीमा करवाने के लिये सहायता प्रदान करना।
- नारियल के पेड़ों के क्षतिग्रस्त होने या मृत होने के कारण कृषकों की आय में होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों को समय पर राहत दिलाना।
- नारियल की खेती को लाभकर बनाने के लिये पुनर्रोपण एवं वन कार्य को बढ़ावा देना।
- संपूर्ण विश्व में भारत नारियल उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी देश है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (World Steel Association) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष **2017** (लगातार तीसरे वर्ष) में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश रहा है।
- एक लंबे समय से चौथे स्थान पर बने रहने के बाद वर्ष **2015** में भारत स्टील उत्पादन के संबंध में तीसरे प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। वर्ष **2015** तक इस स्थान पर अमेरिका का कब्जा था।
- इस सूची में चीन और जापान का क्रमशः प्रथम एवं दूसरा स्थान रहा।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है।
- इसका दूसरा मुख्यालय बीजिंग (चीन) में अवस्थित है।
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्ड स्टील) की स्थापना **10** जुलाई, **1967** को इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी।
- **6** अक्तूबर, **2008** को इसका नाम बदलकर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कर दिया गया।
- वर्ल्ड स्टील, **160** से अधिक इस्पात उत्पादकों (दुनिया की **10** सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से **9** सहित), राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघों और इस्पात अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्ल्ड स्टील के सदस्य **85%** विश्व इस्पात उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लक्ष्य

- स्टील उद्योग का मुख्य फोकस सभी महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों (विशेष रूप से आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता वाले) पर वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है।
- पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के विकास के क्षेत्र में सशक्त विश्लेषण और वैश्विक सुधार पहल को बढ़ावा देना।
- दुनिया भर में बड़े पैमाने पर स्टील को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इसके लिये वैश्विक बाज़ार के विकास के अवसरों को बढ़ावा देना।
- वैश्विक इस्पात उद्योग (**global steel industry**) और इसकी मूल्य श्रृंखला (**value chain**) के संबंध में समय-समय पर विश्व स्तरीय आर्थिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करना, साथ ही स्टील से संबंधित सभी आयामों का मूल्यांकन करना।
- दुनिया भर में सभी बाहरी हितधारकों और मुख्य व्यापारियों के बीच स्टील उद्योग हेतु जागरूकता, समझ और समर्थन को बढ़ावा प्रदान करना।
- स्टील के संबंध में बाज़ारी प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, ताकि इस संबंध में निष्पक्ष व्यापार (सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त) को बढ़ावा दिया जा सके।

विकास का नया रूप : आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रहने की संभावना

आर्थिक समीक्षा

आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा 2018-19 के लिये पूरे वर्ष वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो साल की दूसरी छमाही में 7.5 प्रतिशत के वास्तविक विकास दर पर आधारित है। वर्ष 2018-19 के लिये सर्वेक्षण ने वास्तविक जीडीपी विकास दर 7-7.5 के बीच रहने का

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों जैसे- जीएसटी, बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देना, नियमों को उदार बनाने के उपाय तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 प्रक्रिया के माध्यम से समाधान आदि के आधार पर सर्वेक्षण ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है।

विकास दर

- पिछले वर्ष के दौरान किये गए अनेक प्रमुख सुधारों से इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़कर **6.75** प्रतिशत और **2018-19** में **7.0** से **7.5** प्रतिशत होगी, जिसके कारण भारत विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था के रूप में पुन:स्थापित होगा।
- सर्वेक्षण में यह उल्लेखित किया गया है कि वर्ष **2017-18** में किये गए सुधारों को वर्ष **2018-19** में और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।
- स्थायी प्राथमिक मूल्यों पर ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) में **2016-17** में **6.6** प्रतिशत की तुलना में **2017-18** में **6.1** प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इसी प्रकार से **2017-18** में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमश: **2.1** प्रतिशत, **4.4** प्रतिशत और **8.3** प्रतिशत दर की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि दो वर्षों तक नकारात्मक स्तर पर रहने के बावजूद **2016-17** के दौरान निर्यातों में वृद्धि सकारात्मक स्तर पर आ गई थी और **2017-18** में इसमें तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
- तथापि, आयातों में कुछ प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद, वस्तु और सेवाओं के शुद्ध निर्यातों में **2017-18** में गिरावट आने की संभावना है।
- इसी प्रकार शानदार आर्थिक वृद्धि के बावजूद, जीडीपी के अनुपात के रूप में बचत और निवेश में सामान्य रूप से गिरावट दर्ज की गई है।
- निवेश दर में बड़ी गिरावट **2013-14** में आई। हालाँकि वर्ष **2015-16** में भी इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसके अंतर्गत हाउसहोल्ड क्षेत्र में गिरावट आई, जबकि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में वृद्धि हुई थी।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को विश्व में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा सकता है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी औसत विकास दर वैश्विक विकास दर की तुलना में लगभग **4** प्रतिशत अधिक और उभरते बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग **3** प्रतिशत अधिक रही है।
- सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि **2014-15** से **2017-18** की अवधि के लिये जीडीपी विकास दर औसतन **7.3** प्रतिशत रही है, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक है।

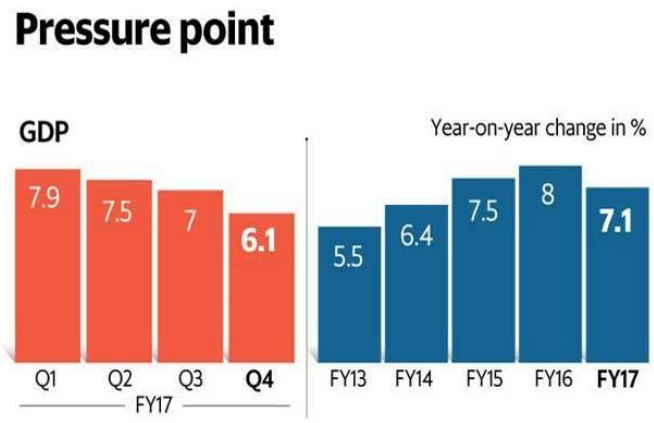

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस विकास दर को कम महँगाई दर, बेहतर करंट अकाउंट बैलेंस तथा जीडीपी अनुपात की तुलना में वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय गिरावट के चलते हासिल किया गया है।
- आने वाले वर्ष में कुछ कारकों, जैसे- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना के कारण जीडीपी विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी संभावनाएँ भी व्यक्त की गई हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- तथापि, **2018** में विश्व विकास दर में मामूली सुधार आने की संभावना के साथ जीएसटी में बढ़ते स्थायित्व, निवेश स्तरों में संभावित रिकवरी तथा अन्य बातों के साथ चालू ढाँचागत सुधारों से उच्च विकास दर प्राप्त किये जाने की संभावना है।
- सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि उभरती मैक्रो इकॉनमिक चिंताओं के संबंध में आने वाले वर्ष में नीतिगत निगरानी आवश्यक होगी, विशेष रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें ऊँचे स्तरों पर बनी रहती हैं या उच्च स्तरों पर स्टॉक मूल्यों में तेज़ी से गिरावट आती है, जिसके कारण पूंजी प्रभाव में अचानक 'सुस्ती' आ सकती है।
- परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष के लिये एजेंडा परिपूर्ण है : जीएसटी में स्थायित्व लाना, टीबीएस (**twin balance sheet**) कार्यों को पूरा करना, एयर इंडिया का निजीकरण तथा मैक्रो इकॉनमिक स्थिरता के खतरों का समाधान करना।
- टीबीएस कार्यों, जो कि लंबे समय से चली आ रही 'एग्ज़िट' समस्या से निजात पाने के लिये उल्लेखनीय है, में घाटा झेल रहे बैंकों के समाधान के लिये और निजी क्षेत्र की बढ़ती प्रतिभागिता के लिये आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है।
- जीएसटी परिषद ने अनेक नीतिगत सुधारों का अनुसरण करने हेतु कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म को एक मॉडल 'टेक्नोलॉजी' रूप प्रदान किया है।
- मध्यावधि में तीन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा- रोज़गार, युवाओं और बढ़ते कार्यबल, विशेष रूप से महिलाओं के लिये अच्छी नौकरियाँ ढूंढना, शिक्षा : एक शिक्षित एवं स्वस्थ कार्यबल का सृजन, कृषि : अनुकूलन का सुदृढ़ीकरण करते हुए फार्म उत्पादकता को बढ़ाना।
- सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि भारत को वास्तविक रूप से दो स्थायी मुद्दों- निजी निवेश और निर्यात के आधार पर त्वरित आर्थिक विकास के लिये जलवायु में सुधार लाने पर निरंतर प्रयास करना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में इस बात पर भी बल दिया गया है कि विमुद्रीकरण केवल एक मामूली व्यवधान था, जिसका प्रभाव **2017** के मध्य से आगे नहीं पड़ा। इस पहलू पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- विमुद्रीकरण एवं जीएसटी का एक उद्देश्य करदाता आधार को बढ़ाना था। सर्वेक्षण के अनुसार, इन नीतिगत कदमों के फलस्वरूप करदाताओं की संख्या में वास्तव में बढ़ोतरी हुई है, हालाँकि इनमें से कई करदाताओं ने ऐसी आय घोषित की है, जो न्यूनतम सीमा स्तर के करीब है।

मुद्रास्फीति दर

- आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक हाउसिंग, ईंधन और लाइट को छोड़कर सभी बड़े कमोडिटी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर में यह कमी दर्ज की गई।
- नवबंर **2016** से अक्तूबर **2017** यानी पूरे **12** महीने के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति दर **4** फीसदी से नीचे दर्ज की गई, जबकि चालू वित्त वर्ष अप्रैल-दिसंबर के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसतन करीब एक फीसदी रहा।
- सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले चार सालों में अर्थव्यवस्था में क्रमिक बदलाव देखा गया, जिसमें एक अवधि के दौरान मुद्रास्फीति काफी ऊपर चढ़ने या काफी नीचे गिरने की बजाय स्थिर बनी रही।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ज़रिये मापी जाने वाली प्रमुख मुद्रास्फीति दर पिछले चार सालों में नियंत्रित ही रही है। जाहिर है कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में मुद्रास्फीति दर में जो गिरावट देखी गई वह खाद्य पदार्थों में रही। इसकी दर (-) **2.1** से **1.5** प्रतिशत रही।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह कृषि के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के चलते ही मुमकिन हो पाया है। सरकार ने मूल्यों को लेकर लगातार निगरानी बनाए रखी है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में चढ़ाव देखा गया। उसकी वजह सब्जी और फलों के दामों में वृद्धि रही है।
- वर्ष **2016-17** में ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक खाद्य पदार्थ रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग सेक्टर ने मुद्रास्फीति में मुख्य भूमिका अदा की है।
- वर्ष **2016-17** के दौरान यदि हम राज्यवार मुद्रास्फीति की दर देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बड़ी गिरावट का ही दौर जारी रहा। चालू वित्त वर्ष के दौरान **17** राज्यों में मुद्रास्फीति की दर **4** प्रतिशत से कम रही।
- सरकार की तरफ से कई स्तरों पर किये गए प्रयासों के चलते मुद्रास्फीति दर में यही कमी देखी गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एफडीआई

- वर्ष **2017-18** (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में **15.0** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाए रखने के लिये सरकार द्वारा अनेक सुधारों को लागू करने से संभव हो पाया है, जिनमें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति की घोषणा करने, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने, कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिये लागू किये गए सुधार शामिल हैं।
- इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर सुधार लागू किये गए, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों सहित **25** क्षेत्रों (सेक्टर) में सुधार लागू किये गए हैं।
- इनमें एफडीआई नीति से जुड़े **100** क्षेत्रों को भी कवर किया गया है। विभिन्न सेक्टरों जैसे कि निर्माण क्षेत्र के विकास, प्रसारण, खुदरा कारोबार, हवाई परिवहन, बीमा एवं पेंशन सेक्टर से जुड़ी एफडीआई नीति के प्रावधानों में व्यापक बदलाव किये गए।
- वर्तमान में **90** प्रतिशत से भी अधिक एफडीआई प्रवाह स्वत: रूट के ज़रिये होता है।
- ई-फाइलिंग के साथ-साथ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई से जुड़े आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग पर सफलतापूर्वक अमल के बाद सरकार ने केंद्रीय बजट **2017-18** में एफआईपीबी को चरणबद्ध ढंग से भंग करने की घोषणा की।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **10** जनवरी, **2018** को एफडीआई नीति में संशोधनों को मंजूरी दी, जिसके तहत एकल ब्रॉण्ड खुदरा कारोबार के लिये स्वत: रूट के ज़रिये **100** प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई। विदेशी एयरलाइंस को भी एयर इंडिया में **49** प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- वैसे तो सेवा क्षेत्र में एफडीआई के वर्गीकरण में कुछ विसंगतियाँ हैं, लेकिन शीर्ष **10** सेवा क्षेत्रों, जैसे कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की सेवा क्षेत्र संबंधी परिभाषा के दायरे में आने वाली वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ दूरसंचार, व्यापार, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, निर्माण, होटल एवं पर्यटन, अस्पताल एवं नैदानिक केंद्रों, परामर्श सेवाओं, समुद्री परिवहन और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र की संयुक्त एफडीआई हिस्सेदारी को सेवा क्षेत्र से जुड़े एफडीआई का सर्वोत्तम आकलन माना जा सकता है।
- वर्ष **2016-17** के दौरान सर्विस सेक्टर (निर्माण क्षेत्र सहित शीर्ष **10** सेक्टर) में एफडीआई इक्विटी प्रवाह **0.9** प्रतिशत घटकर **26.4** अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया। हालाँकि, समग्र रूप से एफडीआई इक्विटी प्रवाह में **8.7** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष **2017-18** (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में **0.8** प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इन सेवा क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में **15.0** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- यह मुख्यत: दो सेक्टरों यथा दूरसंचार और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) होने से ही संभव हो पाया है।

बजट 2018-19 में कृषि संबंधी पहलें

कृषि को एक उद्यम की तरह विकसित करने, कम आगतों से अधिक कृषि उत्पादकता हासिल करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बजट 2018-19 में कृषि क्षेत्र हेतु अनेक नई पहलों की घोषणा की गई है। इनका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर आगे बढना है।

ऑपरेशन ग्रीन्स

- **500** करोड़ रुपए की राशि के साथ **'ऑपरेशन ग्रीन्स'** लॉन्च करने की घोषणा की, ताकि जल्द नष्ट होने वाली जिंसों जैसे कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटा जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर शुरू किया गया 'ऑपरेशन ग्रीन्स'** इस क्षेत्र में **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations-FPOs), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और क्षेत्र के व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा।**
- **100** करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों (**Farmer Producer Companies-FPCs)** को होने वाले लाभों के संदर्भ में पाँच वर्षों की अवधि तक **100** प्रतिशत तक कटौती की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष **2018-19** से होगी।
- इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कटाई उपरांत मूल्य संवर्द्धन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।

जैविक खेती को बढ़ावा

- बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु बड़े क्लस्टरों, विशेषकर प्रत्येक **1000** हेक्टेयर में फैले क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उत्पादक संगठनों (**Village Producers' Organizations-VPOs)** में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को इस योजना का विशेष लाभ प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों में जैविक खेती करने के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्रामीण कृषि बाजार (Gramin Agricultural Market-GrAM)

- भारत में **86** प्रतिशत से भी अधिक छोटे एवं सीमांत किसान हैं, जो सीधे **APMC** या अन्य थोक बाज़ारों में लेन-देन करने की स्थिति में हमेशा नहीं होते हैं।
- इसके समाधान के लिये मौजूदा **22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (Gramin Agricultural Markets-GrAMs) के रूप में विकसित किया जाएगा।**
- इन **GrAMs** में मनरेगा तथा अन्य सरकारी योजनाओ का उपयोग करते हुए भौतिक बुनियादी ढाँचे को बेहतर किया जाएगा और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नाम (**e-NAM)** से जोड़ा जाएगा तथा **APMC** के नियमन के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- इससे किसान सीधे उपभोक्ताओं और व्यापक खरीदारी करने वालों को अपनी उपज बेच सकेंगे।
- **कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC), कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, 2003 (Agricultural Produce Market Committee Act) के तहत कृषि, बागवानी या पशुधन उत्पादों के व्यापार के लिये स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसे राज्य सरकारों द्वारा गठित किया जाता है।**
- पिछले बजट में सरकार ने ई-नाम को मजबूत करने और **585 APMC** मंडियों तक ई-नाम का कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी।
- अब तक **470 APMC** मंडियों को ई-नाम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और शेष को मार्च **2018** तक जोड़ दिया जाएगा।
- इसके अलावा **22,000 GrAMs** और **585 APMC** मंडियों में **कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये 2000 करोड़ रुपए** की राशि वाला **कृषि-बाजार ढाँचागत कोष (Agri-Market Infrastructure Fund) बनाया जाएगा।**

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

- प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कार्यक्रम है और यह क्षेत्र औसतन **8%** वार्षिक दर से संवृद्धि कर रहा है।
- इस क्षेत्र के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाकर विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी तथा सभी **42** मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पशुधन

- मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति में सहायता के लिये किसान क्रेडिट कार्डों (**Kisan Credit Cards-KCC**) की सुविधा अब इस क्षेत्र को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है।
- इससे भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी एवं मत्स्य पालन के लिये फसल ऋण और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा, जो अभी तक **KCC** के तहत केवल कृषि क्षेत्र को ही उपलब्ध था।
- कृषि क्षेत्र में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिये पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के लिये **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि बुनियादी ढाँचागत विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund-FAIDF)** और पशुपालन क्षेत्र की ढाँचागत ज़रूरतों के वित्तपोषण के लिये **पशुपालन बुनियादी ढाँचागत विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund-AHIDF)** स्थापित किया जाएगा।
- इनके माध्यम से राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और व्यक्तिगत निवेशकों को मत्स्यिकी तथा पशुपालन संबंधी आधारभूत संरचनाओं के लिये सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (Re-structured National Bamboo Mission)

- बाँस को 'हरित सोना' की संज्ञा देते हुए कृषि तथा गैर-कृषि क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिये **1290** करोड़ रुपए के पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (**Re-structured National Bamboo Mission**) लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जो बाँस मूल्यवर्द्धन श्रृंखला की बाधाएँ दूर करने और समग्र रूप से बाँस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये क्लस्टर अवधारणा पर आधारित होगा।
- बाँस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिये सुविधाओं के सृजन, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों, कौशल निर्माण और ब्रांड निर्माण पर केंद्रित होने के कारण यह योजना किसानों के लिये अतिरिक्त आय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिये रोजगार अवसर सृजित करने में सहायक होगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

- अब तक अधोषित सभी खरीफ फसलों के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का कम-से-कम 1.5 गुना** तय करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि रबी फसलों के लिये यह निर्णय पहले से ही लागू कर दिया गया है।
- इसके लिये नीति आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा कर एक व्यवस्था कायम करेगा, जिससे कि किसानों को उनकी उपज की पर्याप्त कीमत मिल सके।
- किसानों तक **समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु** सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये **संस्थागत ऋण** को वर्ष **2017-18** के **10** लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष **2018-19** में **11** लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।
- बजट में **Price and Demand Forecasting के लिये एक संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism)** की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से किसान समय पर यह निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कितनी मात्रा में कौन सी फसल उगाने से अधिक लाभ होगा।
- इस बजट में '**Model Land License Cultivator Act**' की भी घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से बँटाईदार तथा ज़मीन को किराये पर लेकर खेती करने वाले छोटे किसानों को भी संस्थागत ऋण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। इसके लिये नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक कार्यवाई करेगा।

न्यू इंडिया-2022 के लिये 'आयुष्मान भारत' पहल

मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली और जन केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तैयार करने के लिये भारत सरकार ने बजट 2018-19 में '**आयुष्मान भारत**' पहल के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा की है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना।

ये पहलें निम्नलिखित हैं-

- स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (**Health and Wellness Centre)**
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति **2017** में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है।
- स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली और नागरिकों के बीच दूरी को कम करने के लिये **1.5** लाख केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिनके लिये **1200** करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- ये केंद्र आवश्यक दवाइयाँ और नैदानिक सेवा नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त ये केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।
- इन केंद्रों को अपनाने के लिये कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (**CSR)** और लोकोपकारी संस्थाओं के ज़रिये निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme)

- **10** करोड़ से अधिक गरीब एवं कमज़ोर परिवारों (लगभग **50** करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिये एक फ्लैगशिप **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना** शुरू की जाएगी।
- इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रति परिवार **5** लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा।
- इस योजना के लिये इस वर्ष **2000** करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिये ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल अपनाने का विकल्प है, हालाँकि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को **30,000** रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक उच्च स्तर पर ले जाने में यह योजना सहायक होगी।

लाभ

- आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र की इन पहलों से श्रम-उत्पादकता और जनकल्याण में वृद्धि होगी तथा कार्यदिवसों की हानि और निर्धनता से बचा जा सकेगा।
- इन योजनाओं से, विशेषकर महिलाओं के लिये रोज़गार के लाखों अवसर सृजित होंगे और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

आम बजट 2018-19 का सार

वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव आने के संकेत दिये थे। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- आगामी खरीफ से सभी अघोषित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा करने का फैसला किया गया है। इससे पहले रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा तय किया जा चुका है।
- सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण की राशि में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि की गई है और यह राशि वर्ष **2014-15** के **8.5** लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष **2017-18** में **10** लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। बजट में वर्ष **2018-19** में इस राशि को **11** लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिये सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन के लिये आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन दोनों कोषों की कुल स्थाई निधि **10** हज़ार करोड़ रुपए होगी।
- ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ करने का सरकार का प्रस्ताव है। इसके प्रयोजनार्थ **500** करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। **86** प्रतिशत से ज़्यादा लघु और सीमांत किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ने के लिये मौजूदा **22** हज़ार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाज़ारों के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जाएगा।
- **22** हज़ार ग्रामीण कृषि बाज़ारों तथा **585** एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास के लिये दो हज़ार करोड़ रुपए की स्थायी निधि से एक कृषि बाज़ार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।
- पिछले वर्ष ई-नैम को सुदृढ़ करने और इसे **585** एपीएमसी तक पहुँचाने के संबंध में घोषणा की गई थी। इनमें से **470** को ई-नैम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। शेष को **2018** तक जोड़ दिया जाएगा। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता के प्रयोजनार्थ **200** करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया।
- **1290** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
- कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए **42** मेगाफूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले **37** प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष **2016-17** में लगभग **42,500** करोड़ रुपए किया था। **2019** तक यह ऋण राशि बढ़ाकर **75** हज़ार करोड़ रुपए कर दी जाएगी।
- **2018-19** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिये **5750** करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया।
- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिये जाएंगे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत **16** हज़ार करोड़ रुपए के परिव्यय से **4** करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं।
- **2022** तक सभी को आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में **2019** तक एक करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत छह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

- **वर्ष 2018-19** के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय व्ययों का अनुमान **2017-18** के **1.22** लाख करोड़ रुपए की तुलना में **1.38** लाख करोड़ रुपए है।
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष **2022** तक खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा **50** प्रतिशत से ज़्यादा की अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है।
- सरकार सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुँचने के लिये एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिये वर्ष **2018-19** में **9975** करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष **2022** तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुन: मज़बूत बनाने के लिये अगले चार वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता पहल के तहत श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष एक हज़ार उत्कृष्ट बीटेक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आईआईटी, आईआईएससी में पीएचडी करने के लिये सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- **10** करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को दायरे में लाने के लिये एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिये प्रति परिवार को पाँच लाख रुपए का प्रतिवर्ष कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति **2017** की परिकल्पना के अनुसार **1.5** लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को घर तक पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम के लिये **1200** करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- गंगा स्वच्छता के मामले में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत **16,713** करोड़ रुपए की लागत से कुल **187** परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से **47** परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और **4465** ग्रामों को खुले मे शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिये रियायत

- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट **10** हज़ार रुपए से बढ़ाकर **50** हज़ार रुपए की गई है तथा आयकर धारा **194**ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधिक जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिये भी उपलब्ध होगा।
- धारा **80**डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को **30** हज़ार रुपए से बढ़ाकर **50** हज़ार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में **50** हज़ार रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- धारा **80**डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी के संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिये कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में **60** हज़ार रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में **80** हज़ार रुपए से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया।
- टैक्स रियायतों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च **2020** तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा **8** प्रतिशत निश्चित प्रति लाभ (**Return**) प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक **7.5** लाख रुपए की मौजूदा निवेश सीमा को बढ़ाकर **15** लाख रुपए किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आईएफएससी के लिये दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव है।
- अनिवासी भारतीयों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रियायत की घोषणा की है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर **9** प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के समान होगा।

मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोज़गार

- मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये बजट में **3794** करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं। अप्रैल **2015** में मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत **4.6** करोड़ रुपए तक के मुद्रा लोन दिये गए।
- इनमें से **76** प्रतिशत ऋण खाते महिलाओं के लिये सुनिश्चित किये गए हैं, जबकि **50** प्रतिशत से अधिक ऋण खाते अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये हैं।
- वर्ष **2018-19** के लिये मुद्रा के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।

रोज़गार सृजन

- रोज़गार सृजन की प्राथमिकता सरकार की नीतियों में प्रमुख रूप से शामिल है। इस वर्ष **70** लाख औपचारिक रोज़गारों का सृजन किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पिछले तीन वर्षों के दौरान रोज़गार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए घोषणा की गई है कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी क्षेत्रों के लिये ईपीएफ में नए कर्मचारियों के वेतन का **12** प्रतिशत का योगदान करेगी।
- **2018-19** में टैक्सटाइल क्षेत्र में **7148** करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव है।

रेलवे

- वर्ष **2018-19** के लिये रेलवे का पूंजीगत व्यय **1,48,528** करोड़ रुपए रहा है। **2017-18** के दौरान चार हज़ार किलोमीटर का विद्युत रेलवे नेटवर्क प्रारंभ हो चुका है।
- मुंबई के स्थानीय रेल नेटवर्क को **11** हज़ार करोड़ रुपए की लागत से दोहरी लाइनों के साथ **90** किलोमीटर किया जाएगा।
- इसके अलावा **40** हज़ार करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त **150** किलोमीटर का उप-शहरी नेटवर्क योजान्वित किया जा रहा है।

हवाई परिवहन

- एक नवीन पहल नाभ निर्माण के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन आवा-जाही को नियंत्रित करने के लिये हवाई अड्डा क्षमता में पाँच गुणा विस्तार करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
- इसके अलावा पिछले वर्ष प्रारंभ की गई उड़ान नामक क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत **56** हवाई अड्डों और **31** हैलीपैडों को पुन: जोड़ा जाएगा, जिनमें अभी सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही हैं।

वित्त

- बॉण्ड बाजार से कोषों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये नियामकों से निवेश वैद्यता के लिये एए से ए रेटिंग की ओर बढ़ने की अपील की।
- इसके अतिरिक्त सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिये एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

- नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिये एक मिशन की शुरुआत करेगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिये बजट-**2018-19** में धनराशि आवंटन को दोगुना करके **3073** करोड़ रुपए किया गया है।

5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिये सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट-स्पॉट का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री ने इसके लिये 10 हज़ार करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार

- वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था ने बुनियादी सुधारों के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल की अपनी रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर **7.4** प्रतिशत रहने की संभावना है।
- देश आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मज़बूती से आगे बढ़ रहा है।
- विनिर्माण क्षेत्र में भी विकास तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से वृद्धि कर रहा है। वर्ष **2017-18** में निर्यात में **15** प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।
- इस वर्ष के बजट में विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये अधिक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से ज़ोर दिया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सरकार ने वैद्य लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुँचाने को भी सुनिश्चित किया। भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र विश्व का एक सबसे बड़ा संचालन तंत्र होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर देश की लाभ हस्तांतरण व्यवस्था की सफलता की गाथा भी प्रस्तुत करता है।

विनिवेश

- वर्ष **2017-18** के लिये विनिवेश के लक्ष्य को **72500** करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किये जाने की संभावना है। वर्ष **2018-19** के लिये **80** हज़ार करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का विलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी।
- सोने के परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिये सरकार एक समेकित स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी। देश में स्वर्ण विनिमय को व्यापार और उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिये सरकार एक प्रणाली विकसित करेगी।
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के स्वर्ण जमा योजना के खाते खुलवा सकें।
- बजट में राष्ट्रपति का वेतन **5** लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का **4** लाख रुपए और राज्यपाल का **3.5** लाख रुपए प्रति महीने करने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

- बजट में परिव्यय का संशोधित अनुमान **2017-18** के लिये **21.57** लाख करोड़ रुपए है, जबकि बजट का आकलन **21.47** लाख करोड़ रुपए का था।
- वर्ष **2018-19** के लिये बजट घाटे को जीडीपी के **3.3** प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया। संशोधित वित्तीय घाटे का अनुमान वर्ष **2017-18** के लिये **5.95** लाख करोड़ रुपए का है, जो जीडीपी **3.5** प्रतिशत है।
- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने तथा कर दायरा बढ़ाने से फायदा हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर **2016-17** में **12.6** प्रतिशत और **2017-18** में **18.7** प्रतिशत रही है।
- करदाताओं की संख्या, जो **2014-15** में **6.47** करोड़ थी, बढ़कर **2016-17** में **8.27** करोड़ हो गई है।
- रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये परिधान उद्योग में धारा **80**जेजेएए के अंतर्गत दी जाने वाली **30** प्रतिशत की कटौती को चमड़े तथा जूते उद्योग में भी लागू किया जाएगा।
- कॉरपोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयास के तहत **250** करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को **25** प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया है। इससे **99** प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। इससे वित्त वर्ष **2018-19** में **7,000** करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।
- आयकर प्रदाताओं के लिये वर्तमान में परिवहन, भत्ते तथा अन्य चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति के बदले **40,000** रुपए की मानक कटौती का प्रावधान किया गया है।
- दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता आगे भी जारी रहेगा। इससे **2.5** करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी)

- निर्धारण वर्ष **2017-18** के लिये सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग **3,67,000** करोड़ रुपए है। एक लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांक के बिना **10** प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिये बजट में व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर पर **4** प्रतिशत अधिशेष की व्यवस्था की गई है। नए अधिशेष को **स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर** के नाम से जाना जाएगा।
- प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिये **2016** में प्रयोग के आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया गया था। **2017** में इसका विस्तार **102** नगरों में किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में वस्तु और सेवा कर लागू होने के पश्चात् यह पहला बजट है। बजट के प्रावधान सीमा शुल्क के संबंध में हैं।
- सीमा शुल्क में बदलाव से देश में रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा तथा खाद्य प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों का पुर्ज़ा निर्माण, जूते तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को **15** प्रतिशत से बढ़ाकर **20** प्रतिशत तथा मोबाइल व टीवी के कलपुर्ज़ों के लिये सीमा शुल्क को बढ़ाकर **15** प्रतिशत कर दिया गया है।
- काजू प्रसंस्करण उद्योग के लिये कच्चे काजू पर सीमा शुल्क **5** प्रतिशत से घटाकर **2.5** प्रतिशत कर दिया गया है।
- आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर **10** प्रतिशत की दर से एक सामाजिक कल्याण उपकर लगाया जाएगा। जिन आयातित वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट मिली हुई है, वह जारी रहेगी।
- जीएसटी लागू होने के पश्चात् केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड-सीबीईसी का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (**PMRY**) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है।
- इस योजना का उद्घाटन **15** अगस्त, **2008** को किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (**Khadi and Village Industries Commission-KVIC**) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- राज्य स्तर पर यह योजना राज्य **KVIC** निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (**KVIBs**), ज़िला उद्योग केंद्रों और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है।
- इस कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष **2017-18** के बजट अनुमान के लगभग **1024** करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष **2018-19** के बजट अनुमान में **1800** करोड़ रुपए कर दिया गया है, ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग **88,000** सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के ज़रिए स्व-रोज़गार के अवसर सृजित किए जा सकें। इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।

स्फूर्ति
(Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries -SFURTI)

- परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिये कोष योजना (**SFURTI**) उद्योगों को अत्यधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने तथा **ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने** के विचार से खादी, ग्रामोद्योग और कॉयर क्षेत्रों में पहचाने गए क्लस्टरों संबंधी परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिये **2005 में शुरू की गई थी।**
- इस स्कीम का उद्देश्य खादी, ग्राम एवं कॉयर क्षेत्रों में परंपरागत उद्योगों के एकीकृत क्लस्टर आधारित विकास के पुनर्सृजन हेतु सतत् और प्रतिकृति मॉडल स्थापित करना है।
- स्फूर्ति के लिये बजटीय आवंटन को वर्ष **2017-18** के बजट अनुमान के **10** करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष **2018-19** के बजट अनुमान में **125** करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे परंपरागत एवं ग्रामीण उद्योगों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एस्पायर योजना (Aspire)

- रोज़गार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा **2015** में **'नवाचार, कृषि-उद्योग और उद्यमिता के संवर्द्धन के लिये योजना' (A Scheme for promotion of Innovation, Entrepreneurship and Agro-Industry)** शुरू की गई थी।
- इस योजना के लिये आवंटन को वर्ष **2017-18** के बजट अनुमान के **50** करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष **2018-19** के बजट अनुमान में **232** करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- इसके पीछे मुख्य उद्देश्य **100** आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटरों और **20** प्रौद्योगिकी बिज़नेस इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। इससे उद्यमिता और रोज़गार सृजन में तेजी आएगी।

भारतीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था

क्या है APA (Advance Pricing Agreements)?

- **APA** आमतौर पर एक करदाता और कम से कम एक टैक्स प्राधिकरण के बीच ऐसा अनुबंध है, जो परस्पर संबंधित कंपनियों के बीच लेन-देन के लिये मूल्य-निर्धारण विधि को पहले से ही तय करता है।
- भारत में **APA** की अवधारणा को वित्त अधिनियम **2012** के तहत प्रस्तुत किया गया था।
- इस समझौते के तहत किसी अनिश्चितता से बचने के लिये, आर्म्स-लेंथ प्राइस **(Arm's-length Price-ALP)** के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
- यदि परस्पर संबंधित कंपनियाँ स्वंतत्र रूप से कार्य कर रही हो तब वसूल की जाने वाली कीमत आर्म्स- लेंथ प्राइस कहलाती है।

APA की आवश्यकता क्यों?

- **APA** का उद्देश्य ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट कर और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कीमतें अग्रिम रूप से निर्धारित करके करदाताओं को निश्चितता प्रदान करना है।
- दो संबंधित कंपनियों के बीच किसी भी तरह के लेन-देन के लिये मूल्य निर्धारण को ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है।
- संबंधित कंपनी का आशय है कि किसी मूल कंपनी **(Parent Company)** की सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी।
- ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कर प्राधिकरणों के बीच विवाद होते हैं। भारतीय कर विभाग और वोडाफोन इंडिया के बीच चला विवाद इसी का उदाहरण है।

APA के प्रकार

- **APAs** द्विपक्षीय अथवा एकपक्षीय दोनों हो सकते हैं।
- जब दो देशों के कर प्राधिकरणों के बीच भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की **ALP** तय करने के लिये अनुबंध होता है तो इसे बहुपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता **(Bilateral Advance Pricing Agreement-BAPA)** कहा जाता है।
- जब कोई करदाता किसी देश में कर संबंधी निश्चितता के लिये केवल एक सरकारी प्राधिकरण के साथ अनुबंध करता है तो इसे एकपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता **(Unilateral Advance Pricing Agreement-UAPA)** कहा जाता है।
- जब दो देशों के बीच कोई दोहरी कराधान परिहार संधि नहीं हो तो **UAPA** को प्राथमिकता दी जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लाभ

- करदाता को कर संबंधी मामलों में निश्चितता रहती है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरणों में विवाद कम होते हैं।
- सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है।
- देश को विदेशी निवेशकों के लिये एक आकर्षक गंतव्य बनाने में सहायता मिलती हैं।
- ये समझौते करदाता और सरकार दोनों के लिये ही बाध्यकारी होते हैं। इस कारण शिकायतों और मुकदमेबाजी संबंधी लागतें कम हो जाती हैं।

नई निवेश नीति-2012

- यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये **02** जनवरी, **2013** को नई निवेश नीति-**2012** अधिसूचित की गई थी।
- **2014** के संशोधन द्वारा इसमें यह प्रावधान शामिल किया गया कि केवल वे इकाइयाँ जिनका उत्पादन इस संशोधन के अधिसूचित होने के दिनांक से **5** वर्षों के भीतर शुरू हो जाता है, वे इस नीति के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद इकाइयाँ उस समय प्रचलित यूरिया नीति द्वारा नियंत्रित होंगी।

नई यूरिया नीति-2015

- उर्वरक विभाग ने **25** मई, **2015** को नई यूरिया नीति-**2015 (New Urea Policy)** अधिसूचित की, जिसका उद्देश्य देश में यूरिया के उत्पादन अधिकतम करना, यूरिया के उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और सरकार पर उर्वरक सब्सिडी के भार को न्यायसंगत बनाना है।
- ऐसी आशा की जा रही है कि तीन वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू यूरिया क्षेत्र ऊर्जा दक्षता के मामले में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाएगा।
- वास्तविक ऊर्जा खपत और वर्तमान मानदंडों के आधार पर यूनिटों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिये संशोधित ऊर्जा खपत मानदंड निर्धारित किये गए हैं।
- इसके अलावा, वर्ष **2018-19** के लिये ऊर्जा मानदंडों का भी लक्ष्य रखा गया है। इससे यूरिया इकाइयों को बेहतर प्रौद्योगिकी का चयन करने और ऊर्जा की खपत घटाने के विभिन्न प्रयासों में मदद मिलेगी। उपरोक्त प्रयासों के कारण उच्च ऊर्जा दक्षता से सब्सिडी बिल कम करने में मदद मिलेगी।
- सरकार के सब्सिडी भार को दो तरीकों से कम किया जा सकता है-निर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों में कटौती और अधिक घरेलू उत्पादन के कारण आयात में कमी आना।

नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea- NCU)

- **25** मई, **2015** की अधिसूचना के द्वारा यूरिया के सभी देशी उत्पादकों के लिये यह आवश्यक बना दिया गया है कि वे अपने रियायती यूरिया का शत-प्रतिशत उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करें, क्योंकि **NCU** को औद्योगिक उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
- इसलिये रियायती यूरिया का गैर-कानूनी उपयोग संभव नहीं होगा। सरकार का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये यूरिया के गैर-कानूनी दिक्परिवर्तन **(Diversion)** पर रोक लगाने का उद्देश्य सब्सिडी में हेराफेरी को रोकना है।

स्टार्ट-अप इंडिया रैंकिंग के लिये फ्रेमवर्क

स्टार्ट-अप की रैंकिंग तय करने के लिये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के लिये तीन मानक जारी किये गए हैं।

- ये मानक हैं - राज्य एवं संघीय क्षेत्र के लिये स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारत में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिये श्रेष्ठ तरीकों का संग्रह एवं स्टार्ट-अप इंडिया किट।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्या है स्टार्ट-अप?

- स्टार्ट-अप एक नई कंपनी होती है, जिसको शुरू करने के बाद उसको विकसित किया जाता है। आमतौर पर स्टार्ट-अप यानी नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है।
- आमतौर पर उसको शुरू करने वाला व्यक्ति उसमें पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है। विदित हो कि भारत सरकार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "स्टार्ट-अप इंडिया" के नाम से एक योजना की शुरुआत भी कर चुकी है।

उद्देश्य

- राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के लिये स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।
- ये फ्रेमवर्क स्थानीय स्तर पर स्टार्ट-अप के लिये एक प्रभावी वातावरण बनाने के लिये उठाए प्रत्येक कदम के असर को मापेगा।
- रैंकिंग फ्रेमवर्क श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के सतत् प्रसार के ज़रिये लगातार सीखने को संभव बनाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को स्टार्ट-अप तंत्र के हितधारकों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें स्टार्ट-अप्स, मार्गदर्शक, निवेशक, मदद करने वाले, शुरुआती मदद करने वाले एवं सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं। जिन क्षेत्रों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिये जैसे- सीड फंडिंग सपोर्ट, महिला उद्यमी ऐसे क्षेत्रों को इसमें ज़्यादा अंक दिये गए हैं।
- ये मानक मार्च **2018** से पहले राज्यों द्वारा उठाए गए सभी कदमों और उनके द्वारा की गई सभी पहलों से मिली जानकारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- स्टार्ट-अप इंडिया हब पोर्टल इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी करने के लिये मंच मुहैया कराएगी।
- स्टार्ट-अप इंडिया की आदर्श कार्यप्रणाली के संग्रह को आधिकारिक तौर पर जारी करने का ध्येय स्टार्ट-अप को नैतिक आचरण के लिये प्रोत्साहित करना है और अभी **18** राज्य और संघ क्षेत्र इसका पालन कर रहे हैं।

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम

- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम **16** जनवरी, **2016** को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य देश में स्टार्ट-अप्स और नए विचारों के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न हों।

आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित व्यापार नीति के दो प्रमुख निर्णय

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में पिछले वर्ष की व्यापार नीति के संदर्भ में दो प्रमुख फैसलों का वर्णन किया गया है। पहला निर्णय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा से संबंधित है, जबकि दूसरा निर्णय दिसंबर 2017 में विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय समझौतों से संबंधित है। इसके अलावा सर्वेक्षण के अंतर्गत लॉजिस्टिक एवं एंटी-डम्पिंग के क्षेत्र में लिये गए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के विषय में भी चर्चा की गई है।

एफटीपी मध्यावधि समीक्षा और तद्नुसार व्यापार से संबंधित नीतियाँ

- **5** दिसंबर, **2017** को जारी एफटीपी **(Funds transfer pricing -FTP)** मध्यावधि समीक्षा में भारत के व्यापार क्षेत्र की सहायता के लिये कुछ अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।
- **15** दिसंबर, **2017** को सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के लिये चमड़ा और जूता क्षेत्र में एक विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी गई है।
- इससे रोज़गार के साथ-साथ इस क्षेत्र में निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बहुपक्षीय समझौते

- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के **11**वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का समापन बिना किसी मंत्रिस्तरीय घोषणा एवं ठोस परिणाम के हुआ।
- हालाँकि, सम्मेलन के तहत भारत ने बहुपक्षवाद, नियम आधारित आपसी सलाह के आधार पर निर्णय लेना, एक स्वतंत्र और विश्वसनीय विवाद सुलझाने तथा अपील की प्रक्रिया, विकास की केंद्रीयता जो दोहा विकास एजेंडा (डीडीएक्यू) पर सहमति जताई।
- इसके साथ-साथ सभी विकासशील देशों को विशेष दर्जा, जैसे- डब्ल्यूटीओ के मौलिक सिद्धांतों पर दृढ़ता बनाए रखने संबंधी पक्षों पर विशेष बल दिया गया।

विदेशी मुद्रा भंडार

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर **2016** में **358.9** बिलियन डॉलर से बढ़कर दिसंबर **2017** में **409.4** बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में वर्षवार **14.1** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- यह दिसंबर **2017** में **409.4** बिलियन डॉलर हो गया।
- मार्च **2017** से दिसंबर **2017** के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में **10.7** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। **12** जनवरी, **2018** को कुल विदेशी मुद्रा भंडार **413.8** बिलियन डॉलर हो गया है।
- जहाँ एक ओर विश्व की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ चालू खाता घाटे का सामना कर रही हैं, वहीं भारत विश्व के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है।
- स्पष्ट रूप से यह भारत की आर्थिक संवृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। गौरतलब है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत पूरी दुनिया में छठे स्थान पर है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

- पिछले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और इसके **2016** के **3.2** प्रतिशत से बढ़कर **2017** में **3.6** प्रतिशत और **2018** में **3.7** प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है, जो आईएमएफ द्वारा दिये गए पिछले अनुमानों में सुधार को दर्शाता है।
- भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष **2013-14** से ही अच्छी बनी हुई है और वित्त वर्ष **2017-18** की पहली तिमाही में चालू खाते घाटे (सीएडी) में कुछ बढ़ोत्तरी के बावजूद वित्त वर्ष **2017-18** की पहली छमाही में भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से दूसरी तिमाही में सीएडी में कमी रही है।
- वित्त वर्ष **2017-18** की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा **15** अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का **2.5** प्रतिशत) रहा था, जो दूसरी तिमाही में तेज़ी से घटकर **7.2** अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का **1.2** प्रतिशत) रह गया।

व्यापार घाटा

- भारत का व्यापार घाटा (सीमा शुल्क के आधार पर) वित्त वर्ष **2014-15** से लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन वित्त वर्ष **2016-17** की पहली छमाही के **43.4** अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष **2017-18** की पहली छमाही में व्यापार घाटा बढ़कर **74.5** अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वित्त वर्ष **2016-17** में पीओएल और गैर-पीओएल दोनों प्रकार के घाटों में कमी के साथ भारत का व्यापार घाटा **108.5** अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
- वर्ष **2017-18** (अप्रैल-दिसंबर) में व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर) **46.4** प्रतिशत बढ़कर **114.9** अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया, जिसमें पीओएल घाटे में **27.4** प्रतिशत और गैर-पीओएल घाटे में **65** प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

व्यापार विन्यास

- वर्ष **2016-17** में निर्यात वृद्धि काफी हद तक वस्त्र एवं संबंधित उत्पादों और चर्म एवं चर्म विनिर्मिति को छोड़कर सभी प्रमुख श्रेणियों में हुई सकारात्मक वृद्धि पर आधारित थी।
- वर्ष **2017-18** (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अच्छी निर्यात वृद्धि दर्ज करने वाले बड़े सेक्टरों में इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम क्रूड एवं उत्पाद शामिल थे, वहीं रासायनिक और संबंधित उत्पाद एवं वस्त्र और संबंधित उत्पादों के निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
- हालाँकि, प्रमुख रत्नों एवं आभूषणों में नकारात्मक वृद्धि रही।
- वैश्विक व्यापार में सुधार के अनुमान के साथ भारत में इस वर्ष और अगले वर्ष के लिये वैदेशिक क्षेत्र की संभावनाएँ बेहतर दिखती हैं। **2017** और **2018** में वैश्विक व्यापार में क्रमशः **4.2** प्रतिशत और **4** प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि **2016** में व्यापार में **2.6** प्रतिशत की वृद्धि हुई थी
- प्रमुख साझेदार देशों के साथ व्यापार में सुधार हो रहा है और भारत की निर्यात वृद्धि गति पकड़ रही है।
- हालाँकि, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से सुस्ती का जोखिम बना हुआ है। इससे विदेश से धन प्रेषण में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है।
- सरकार की जीएसटी, लॉजिस्टिक जैसी समर्थनकारी नीतियों और कारोबार को सुगम बनाने से संबंधित नीतियों से भी आगे मदद मिल सकती है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने हेतु सरकार और न्यायिक व्यवस्था के बीच समन्वित प्रयास

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अंतर्गत व्यवसाय को आसान बनाने के लिये अपीलीय और न्याय क्षेत्रों में लंबित, विलंबित और अनिर्णीत मामलों के निपटान की ज़रूरत पर विशेष बल दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी), **2018** में पहली बार **30** स्थान उछलकर शीर्ष **100** देशों में शामिल हो गया है।
- भारत कराधान और शोधन अक्षमता से संबंधित संसूचकों में क्रमशः **53** और **33** स्थान ऊपर आया है, जो कराधान के क्षेत्र में किये गए प्रशासनिक सुधारों और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), **2016** को पारित किये जाने के कारण हुआ है।
- साथ ही सरकार द्वारा बिजली उपलब्ध कराने के क्षेत्र में किये गए सुधारों के कारण ईओडीबी, **2018** में बिजली पाने से संबंधित रैंकिंग में भारत **70** स्थान ऊपर आया है। हालाँकि सर्वेक्षण के मुताबिक, संविदाओं को अमलीजामा पहनाने से संबंधित संसूचकों के मामले में भारत लगातार पिछड़ रहा है।

पारदर्शी एवं न्यायिक व्यवस्था पर बल

- सर्वेक्षण के मुताबिक, एक पारदर्शी और कुछ हद तक कानूनी एवं कार्यकारी व्यवस्था, जो दक्ष न्यायिक प्रणाली द्वारा समर्थित हो और नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की उपयुक्त रूप में सुरक्षा करती हो, संविदाओं की पवित्रता को बनाए रखती हो तथा संविदा शामिल पक्षकारों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को लागू करती हो, व्यवसाय की पूर्वापेक्षा है।
- सरकार ने संविदा प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय किये हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं-
  - ✓ अप्रयुक्त हो चुके 1,000 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।
  - ✓ मध्यस्थता तथा संरक्षण अधिनियम (Arbitration and Protection Act), 2015, 2015 में संशोधन किया गया है।
  - ✓ उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग तथा वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 पारित किया गया है।
  - ✓ लोक अदालत कार्यक्रम का विस्तार किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ न्यायपालिका ने महत्त्वपूर्ण नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का विस्तार किया है और जल्द ही प्रत्येक उच्च न्यायालय का डिजिटलीकरण कार्य भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण के मानकों में बदलाव

मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण के मानकों को बदलने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में संशोधन तथा लोकसभा में लंबित MSMED (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

वर्तमान में क्या है प्रावधान?

- मौजूदा **MSMED** अधिनियम की धारा **7** में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को परिभाषित किया गया है।
- इसमें विनिर्माण इकाइयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपक्रमों के लिये उपकरणों में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का वर्गीकरण किया गया है।
- संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मानदंड स्व-घोषणा पर आधारित है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसकी सत्यापन करने की स्थिति में लेन-देन की लागतें बढ़ जाती हैं।

प्रस्तावित संशोधन

- उपरोक्त संशोधन में **MSMEs** के वर्गीकरण का आधार **'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश'** के स्थान पर **'वार्षिक कारोबार' (Annual Turnover)** करने का प्रस्ताव है।
- **MSMED** अधिनियम, **2006** की धारा **7** में संशोधन होने पर उत्पादित वस्तुओं और दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाइयों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाएगा-
  - ✓ जिस इकाई में 5 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार नहीं होगा, उसे सूक्ष्म उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
  - ✓ जिस इकाई में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, उसे लघु उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
  - ✓ जिस इकाई में वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, उसे मध्यम उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार अधिसूचना के ज़रिये इस कारोबार की सीमा में बदलाव कर सकेगी, जो **MSMED** अधिनियम की धारा **7** में उल्लेखित सीमा के तीन गुना से अधिक नहीं हो सकेगी।

संशोधन के अपेक्षित लाभ

- इससे कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, वर्गीकरण के मानक संवृद्धि आधारित होंगे और यह इन्हें वस्तु और सेवा कर आधारित नई कर प्रणाली के अनुरूप बनाएगी।
- **GST** नेटवर्क और अन्य तरीकों से उपलब्ध विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर वार्षिक कारोबार के मानक को सुस्थापित कर वर्गीकरण का एक गैर-विवेकाधीन, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानक प्राप्त किया जा सकेगा।
- यह व्यवस्था निरीक्षण की आवश्यकता को खत्म करने, वर्गीकरण प्रणाली को प्रगतिशील तथा विकासोन्मुख बनाने और मशीनरी/उपकरण में निवेश या रोज़गार के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित अनिश्चितताओं पर काबू पाने में सहायता करेगी।
- इससे व्यापार करना सरल होगा और देश के **MSMEs** क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार सृजन होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

गोबर-धन योजना : दोहरे उद्देश्यों की कुंजी

- बजट **2018-19** में गोबर-धन (**Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN**) योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी।

गोबर-धन (गैल्वनाइज़िंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज़-धन) योजना

- बजट **2018-19** में इस योजना के मुख्यत: दो उद्देश्य हैं : गाँवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना।
- गोबर-धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायोगैस, बायो-**CNG** में परिवर्तित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के अप्रैल माह में शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। इसका लक्ष्य उद्यमियों को जैविक खाद, बायोगैस/बायो-**CNG** उत्पादन के लिये गाँवों के क्लस्टर्स बनाकर इनमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और संग्रहण को बढ़ावा देना है।
- फिलहाल प्रत्येक ज़िले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए लगभग **700** क्लस्टर्स स्थापित करने की योजना है।
- इसके तहत जैव-ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के सभी श्रेणियों में छोटे और बड़े पैमाने पर परिचालनों को शामिल करते हुए विभिन्न व्यवसाय मॉडल विकसित किये जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- दुनिया में सबसे बड़ी पशु जनसंख्या के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की बड़ी मात्रा को धन और ऊर्जा में बदलकर इसका लाभ उठाने की क्षमता है।
- मवेशियों का गोबर, रसोई अपशिष्ट और कृषि संबंधी कचरे का बायोगैस-आधारित ऊर्जा बनाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- गोबर-धन की पहल से पशुओं का गोबर और अन्य कार्बनिक अपशिष्ट को खाद, बायोगैस और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर बायो-**CNG** इकाइयों में परिवर्तित करने के लिये ऐसे ही अवसरों का सृजन किये जाने की संभावना है।
- ग्रामीण भारत में सामान्य स्वच्छता और प्रभावी ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये काफी ज़ोर दिया जा रहा है। इन उद्देश्यों को गोबर-धन योजना के साथ एकीकृत कर इस दिशा में प्रगति की जा सकती है।

कोयला खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति

मंत्रिमंडल द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिये खदानों/ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंज़ूरी दी गई है।

- इस निर्णय से कोयले के वाणिज्यिक खनन पर कोल इंडिया लिमिटेड (**Coal India Limited-CIL**) का **41** वर्षों से चला आ रहा एकाधिकार खत्म हो जाएगा।
- पिछले पाँच वर्षों में सार्वजनिक स्वामित्व वाली खानों के उत्पादन में **100** मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन यह सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से हमेशा पीछे ही रहा। अप्रैल-दिसंबर, **2017** की अवधि के लिये **CIL** के अस्थायी आँकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य में **406.5** मिलियन टन (**6%**) तक की कमी रही।
- जीवाश्म ईंधन के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद **CIL** के खराब प्रदर्शन के कारण ही देश को बड़ी मात्रा में कोयला आयात करना पड़ रहा है।
- भारतीय कोयले में राख की मात्रा (**Ash Content**) औसतन **45%** के आसपास है, जो कि कुशल और दक्ष बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक **25-30%** से काफी अधिक है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इस संशोधन के अपेक्षित लाभ

- यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाने के साथ ही कारोबारी सुगमता को उच्च प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिये हो।
- नीलामी प्रक्रिया नीचे से ऊपर के क्रम में होगी, जिसमें बोली के मानक रुपए और टन के मूल्य प्रस्ताव के रूप में होंगे, जिसका भुगतान कोयले के वास्तविक उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार को किया जाएगा।
- कोयला खानों से निकाले गए कोयले की बिक्री और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस सुधार के चलते एकाधिकार से प्रतिस्पर्द्धा के युग की ओर बढ़ते हुए कोयला क्षेत्र में दक्षता आने की उम्मीद है। यह कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाएगा और यथासंभव बेहतरीन प्रौद्योगिकी का रास्ता खोलेगा।
- ज़्यादा निवेश होने से कोयला क्षेत्र, विशेषकर खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

'इरडा' (Insurance Regulatory and Development Authority - IRDA)

- यह एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 'इरडा अधिनियम, 1999' के द्वारा किया गया है, जो भारतीय बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है।
- इस प्रधिकरण के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
  - ✓ अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी लाने हेतु दीर्घकालिक धन उपलब्ध कराने तथा आम आदमी के हितों को सुनिश्चित करने के लिये बीमा उद्योग की त्वरित एवं व्यवस्थित वृद्धि करने के लिये।
  - ✓ बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचारों को रोकने तथा इनके लिये प्रभावी शिकायत निवारण मशीनरी को लागू करने हेतु वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना।
  - ✓ विनियमन अथवा इसके नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों में उच्च स्तर की अखंडता, वित्तीय सुदृढ़ता और निष्पक्ष व्यवहार की योग्यता को स्थापित करना, आदि।
- इस अधिनियम की धारा 4 इस प्राधिकरण की संरचना के संदर्भ में बताती है।
- इसके अनुसार, यह एक 10 सदस्यीय प्राधिकरण है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं तथा सभी को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)
(Indian Renewable Energy Development Agency Ltd -IREDA)

- यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है।
- इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' (Public Financial Institution) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' के नियमों के अंतर्गत 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (Non-Banking Financial Company) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसे वर्ष **1987** में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
- इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोमोट करना, इनका विकास करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- कुछ समय पहले भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आई.आर.ई.डी.ए.) द्वारा तैयार किये जा रहे सोलर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा **100** मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है, जिसे आई.आर.ई.डी.ए. के माध्यम से सोलर पावर पार्क डेवलपर्स (**Solar Power Park Developers - SPPDs)** को प्रदान कराया जाएगा।

आईपीओ के गठन को मंज़ूरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इरेडा (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd - IREDA) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये मंज़ूरी प्रदान की गई है। दोनों कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ के लिये जनवरी और दिसंबर के बीच दस्तावेज़ जमा कराए थे।

मुख्य बिंदु

- उक्त दस्तावेज़ों के अनुसार, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के आईपीओ के तहत सरकार इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। इससे कंपनी को सूचीबद्धता का भी लाभ मिल सकेगा।
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड **(Bharat Dynamics Limited - BDL)** की स्थापना **1970** में हुई थी।
- यह निर्देशित प्रक्षेपास्त्र तथा संबंधित रक्षा उपकरण बनाती है। मार्च **2017** के अंत तक कंपनी का नेटवर्थ **2,212.46** करोड़ रुपए था।
- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ और यस सिक्योरिटीज़ कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन करेगी।
- इरेडा के आईपीओ के तहत कंपनी के **13.90** करोड़ शेयरों की पेशकश की जाएगी। इसमें से **6.95** लाख शेयर कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिये आरक्षित होंगे।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, **2018** को संसद में पेश करने की मंज़ूरी दी गई।
- चिट फंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि और चिट फंड उद्योग के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिये, साथ ही अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करने के लिये चिट फंड कानून, **1982** में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है-
  - ✓ चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 2(बी) और 11(1) के अंतर्गत चिट फंड व्यवसाय के लिये "बंधुत्व कोष" शब्द का इस्तेमाल उसकी अंतर्निहित प्रकृति को स्पष्ट करने और एक अलग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित "प्राइज चिट" से उसके कामकाज को अलग करना है।
  - ✓ चिट का ड्रॉ कराने के लिये कम-से-कम दो ग्राहकों की ज़रूरत को बरकरार रखते हुए और कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 में यह इज़ाजत देने का प्रस्ताव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये कम-से-कम दो ग्राहक शामिल हों, जिसकी रिकॉर्डिंग चिट के अंतिम चरणों की दिशा में ग्राहकों की मौजूदगी के रूप में फोरमैन द्वारा की जाए। फोरमैन के पास कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट होगी, जिस पर कार्यवाही के दो दिन के अंदर ऐसे ग्राहकों के हस्ताक्षर होंगे।
  - ✓ फोरमैन के कमीशन की अंतिम सीमा अधिकतम पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करना, क्योंकि कानून के लागू होने तक दर अपरिवर्तनीय है, जबकि ऊपरी खर्चों और अन्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हुई है।
  - ✓ फोरमैन को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह ग्राहकों से बकाये की राशि ले, ताकि उन ग्राहकों के लिये चिट फंड कंपनी द्वारा मुआवज़े की इज़ाजत दी जा सके, जिन्होंने पहले से ही धनराशि निकाल ली है, ताकि उनके द्वारा धाँधली को रोका जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ इसके अतिरिक्त चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 85(ख) में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि चिट फंड कानून तैयार करते समय 1982 में निर्धारित 100 रुपए की सीमा को समाप्त किया जा सके, जो लगभग अपना महत्त्व खो चुकी है।
- ✓ साथ ही इन संशोधनों में राज्य सरकारों को सीलिंग निर्धारित करने और उसमें समय-समय पर वृद्धि करने की इज़ाजत देने का भी प्रस्ताव किया गया है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म के छह नए यूज़र फ्रेंडली फीचर्स लॉन्च

21 फरवरी, 2018 को ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को और अधिक आसान बनाने के लिये इसकी 6 नई विशेषताओं का शुभारंभ किया गया। जिनमें बेहतर विश्लेषण के लिये एमआईएस डैशबोर्ड, व्यापारियों को भीम एप द्वारा भुगतान की सुविधा, व्यापारियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा, मोबाइल एप पर विस्तृत सुविधाएँ, जैसे कि गेट एंट्री और मोबाइल के ज़रिये पेमेंट, किसानों के डाटाबेस का एकीकरण, ई-नाम वेबसाइट में ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि शामिल हैं।

ई-नाम (e-National Agriculture Market-NAM) क्या है?

- किसानों के लिये कृषि वस्तुओं के विपणन की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाज़ार **(e-NAM)** की परिकल्पना की गई थी और **14** अप्रैल**, 2016** को इसे **21** मंडियों में शुरू किया गया था।
- ई- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक पैन इंडिया ई- व्यापार प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करते हुए किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का सृजन करना है।
- इसके तहत किसान नज़दीकी बाज़ार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिये मूल्य चुका सकते हैं।
- ई-नाम एक **"**वास्तविक**"** बाज़ार है, जिसे एक भौतिक बाज़ार (मंडी) का समर्थन प्राप्त है।
- ई-नाम एक समांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है बल्कि भौतिक मंडियों के राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करने वाला एक ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा इन मंडियों तक ऑनलाइन पहुँचा जा सकता है।
- यह ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल के माध्यम से मंडी की भौतिक अवसंरचना का लाभ उठाने की कोशिश करता है**,** जो स्थानीय स्तर पर व्यापार में भाग लेने के लिये राज्य के बाहर स्थित खरीदारों को भी सक्षम बनाता है।
- अब तक **14** राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की **479** मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं।
- ई-नाम वेबसाइट अब आठ स्थानीय भाषाओं (हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, बांग्ला और उड़िया) में उपलब्ध है तथा इस पर लाइव ट्रेडिंग सुविधा भी छह भाषाओं (हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला, गुजराती, मराठी और तेलुगू) में उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि मंत्रालय द्वारा ई-नाम पोर्टल को नई और यूज़र फ्रेंडली सुविधाओं से लैस करने के लिये निम्नलिखित छह विशेषताएँ लॉन्च की गई है-

ई-नाम मोबाइल एप

- इस बहुभाषीय मोबाइल एप की सहायता से मंडी ऑपरेटर्स द्वारा गेट एंट्री का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा सकेगा तथा किसानों को मोबाइल एप पर अग्रिम रूप से गेट एंट्री करने की सुविधा उपलब्ध होगी। परिणामस्वरूप मंडी आने वाले किसानों का काफी समय बचेगा तथा गेट एंट्री और आवक सूचना आसानी से दर्ज की जा सकेगी।
- इसके अतिरिक्त किसान अपनी फसल के क्रय-विक्रय तथा वास्तविक बोली प्रक्रिया की प्रगति संबंधी जानकारी भी इस मोबाइल एप द्वारा अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे और किसानों को उनके बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने के संबंध में **SMS** अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे किसानों को भुगतान रसीद संबंधी सूचना मिल सकेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भीम (BHIM) एप से भुगतान सुविधा

- वर्तमान में ई-नाम पोर्टल किसानों को **RTGS/NEFT,** डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देता है। भीम के ज़रिये यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (**UPI)** सुविधा किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया आसान बनाने का एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे खरीदारों के खाते से भुगतान लेकर उसे पूल अकाउंट में डालने तथा किसानों को भुगतान का वितरण करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

ई-लर्निंग मॉड्यूल सहित नवीन और समुन्नत वेबसाइट

- समुन्नत और अधिक सूचनापरक सुविधाओं जैसे कि गेट एंट्री पर ई-नाम मंडियों की वर्तमान स्थिति, नवीनतम घटनाओं की सूचना, डायनामिक ट्रेनिंग कलेंडर आदि के साथ एक नई वेबसाइट विकसित की गई है।
- इसके अलावा, हिन्दी भाषा में ई-लर्निंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है और उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि विभिन्न हितधारक इस सिस्टम को प्रयोग करने के बारे में ऑनलाइन सीख सकें और अपनी सुविधा अनुसार सिस्टम में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

MIS डैशबोर्ड

- बिजनेस इंटेलीजेंस आधारित एमआईएस डैशबोर्ड फसल की आवक और व्यापार के संबंध में प्रत्येक मंडी के कार्य निष्पादन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- इससे मंडी बोर्ड के अधिकारियों तथा मंडी सचिव को प्रत्येक मंडी की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक तुलनात्मक कार्य निष्पादन की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

मंडी सचिवों के लिये शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली

- इस सिस्टम द्वारा मंडी सचिव को पोर्टल/सॉफ्टवेयर और उसके प्रचालन से संबंधित तकनीकी मुद्दे उठाने तथा उनके प्रश्नों के निवारण की ऑनलाइन निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

किसान डेटाबेस का एकीकरण

- ई-नाम को सेंट्रल फार्मर डेटाबेस के साथ जोड़ा गया हैस ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा आसान हो सके तथा मंडी गेट पर आवक के दौरान किसान की पहचान आसानी से की जा सके।
- इससे गेट एंट्री स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ेगी और 'कतार समय' **(Queue Time)** में भी कमी आएगी। इसके अलावा, रबी और खरीफ की अधिक आवक के दौरान अधिक कार्य क्षमता के साथ गेट स्तर पर लोड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और एंट्री गेट पर किसानों के अपनी उपज के साथ प्रतीक्षा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

वित्तीय समावेशन और राजकोषीय प्रावधान के बीच अंतर्संबंध

माइक्रोसेव और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 'स्टेट ऑफ द एजेंट नेटवर्क, इंडिया 2017' नामक रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन और राजकोषीय प्रावधान के बारे में बात की गई है।

माइक्रोसेव रिपोर्ट

- **2017** की दूसरी छमाही में आई **माइक्रोसेव रिपोर्ट,** जिसमें देशभर के **3,048** व्यापार संवाददाता शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस रिपोर्ट के अनुसार, **बैंकिंग सेवाओं** और **सरकार से लोगों को भुगतान** के कारण लेन-देन और तत्पश्चात्, राजस्व और मुनाफे में वृद्धि हुई है।
- हालाँकि, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बैंकिंग एजेंटों की भर्ती यह सुझाव देते हुए धीमी हो गई है कि प्रदाता तेजी से आगे बढ़ने के लिये वरीयता में मौजूदा संचालन को बनाए रखने या विकसित करने के लिये प्रयासरत हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में लगभग **22** प्रतिशत बैंकिंग एजेंटों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा था, जो **2015** के **2** प्रतिशत की तुलना में तेज़ी से सामने आया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि, "धोखाधड़ी में बढ़ोतरी सीधे खाते से संबंधित लेन-देन में कई गुना वृद्धि से जुड़ी हो सकती है।"
- रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में बैंकिंग एजेंट के पॉइंट से "कैश इन, कैश आउट" लेन-देन की मात्रा में **200** प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

- वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है।
- साथ ही ये सेवाएँ उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिये।
- कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएँ इस प्रकार हैं - ऋण, भुगतान और धनप्रेषण सुविधाएँ और मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों के लिये उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा।
- 'वित्तीय समावेशन' की चर्चा **2000** के दशक के बाद से ही महत्त्वपूर्ण स्थान पाने लगी है। आजकल संसार के अधिकांश विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन भी शामिल हो गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरण घटनाक्रम

मिशन इनोवेशन

- यह नवाचार की गति में तेज़ी लाने और स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से किफायती एवं विश्व भर में सुगम्य बनाने के लिये एक उल्लेखनीय पंचवर्षीय प्रतिबद्धता है।
- मिशन इनोवेशन में अब **22** अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ यूरोपीय आयोग भी शामिल है जो यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में कुल वैश्विक सार्वजनिक वित्त पोषण के **80** प्रतिशत से भी ज़्यादा का योगदान देता है।
- यह नवाचार की गति बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के शुभारंभ के ज़रिये बदलाव लाने के लिये **22** सदस्य देशों एवं यूरोपीय संघ की ओर से समेकित प्रयास है, ताकि समय पर आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ अन्य लक्ष्य हासिल किये जा सकें।
- भारत संचालन समिति का संस्थापक सदस्य है। इसके साथ ही भारत इन दो उप-समूहों का भी एक सदस्य है- संयुक्त अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण और निजी क्षेत्र की भागीदारी।

लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन
(Alliance of Small Island States-AOSIS)

- लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन छोटे द्वीपों और तटीय देशों का एक गठबंधन है, जो विकास और पर्यावरण संबंधी मुद्दों, विशेषतया वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिये इनकी सुभेद्यता पर साझी चुनौतियों और चिंताओं का सामना कर रहे हैं।
- इसकी स्थापना **1990** में हुई थी। यह मुख्यतः एक तदर्थ लॉबी के रूप में कार्य करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (**small island developing States-SIDS**) के हितों की वकालत करता है।
- संयुक्त रूप से **SIDS** समुदाय वैश्विक आबादी के लगभग **5%** भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एक अनुमान के मुताबिक़ लगभग **100** मिलियन लोग उच्च ज्वार के स्तर से एक मीटर की परास में रहते हैं।
- इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्र की ओर अधिवासित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सुभेद्य आबादी और बुनियादी ढाँचे में वृद्धि हो रही है। इसलिये समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति अनुकूलन गतिविधियों में निवेश की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण फॉरेस्ट ओवलेट का प्रजातिकरण

- **PLoS ONE** नामक जर्नल में प्रकाशित पेपर के अनुसार मध्य भारत में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले फॉरेस्ट ओवलेट (**Heteroglaux Blewetti**-हेट्रोग्लॉक्स ब्लेवेट्टी) को अब एथेन ब्लेवेट्टी के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाएगा। **IUCN** की रेड डाटा बुक में इसे संकटग्रस्त (**Endangered**) प्रजाति की सूची में रखा गया है।
- वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि फॉरेस्ट ओवलेट आमतौर पर देखे जाने वाले उल्लू के वर्ग (**Genus**) से ही संबंधित हैं। इस खोज से फॉरेस्ट ओवलेट की अन्य भारतीय उल्लुओं के साथ आनुवंशिक संबंधों पर जारी बहस का समापन हो गया है।
- ओवलेट उल्लुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पक्षियों के बीच के संबंध को उजागर करने के लिये वैज्ञानिकों ने पंखों से प्राप्त डीएनए के द्वारा एक जेनेटिक ट्री का निर्माण किया।
- इस जेनेटिक ट्री पर प्राचीन उल्लूओं संबंधी जीवाश्म रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए टीम ने उस कालावधि और प्रक्रिया का आकलन किया है, जिससे फॉरेस्ट ओवलेट अपने निकटतम संबंधियों से अलग हो गया था और परिणामस्वरूप नई प्रजातियाँ विकसित हुईं।

फॉरेस्ट ओवलेट के वर्गीकरण पर बहस क्या थी?

- चित्तीदार उल्लू (**Spotted Owlet**) एथेन ब्रामा (**Athene Brama**) की तरह दिखने वाले इस फॉरेस्ट ओवलेट का वर्गीकरण हमेशा से ही एक रहस्य रहा है।
- टैक्सोनोमिस्ट्स कभी इसे हेट्रोग्लॉक्स वर्ग में तो कभी एथेन वर्ग में रखते थे। वहीं अन्य लोग इसे जंगल ओवलेट (**Jungle Owlet**) से अधिक संबंधित पाते थे।

गिद्धों की विलुप्ति का कारण क्या है?

- खेतों में फर्टिलाइज़र के अत्यधिक प्रयोग एवं पालतू जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिये दी जाने वाली डाईक्लोफेनॉक दवा ने गिद्धों को विलुप्ति की कगार पर पहुँचा दिया है।
- डाईक्लोफेनॉक के पशु चिकित्सा संबंधी प्रयोग के लिये प्रतिबंधित होने के बावजूद इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे गिद्धों की जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
- पशुओं के लिये सामान्य तौर पर प्रज्वलनरोधी इस दवा को हाल के वर्षों में गिद्धों की जनसंख्या में तेज़ी से हो रही कमी के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है।
- यह दवा पशुओं के लिये नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन यह गिद्धों के लिये घातक साबित होती है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर मृत पशुओं के शवों का भोजन करते हैं। इस संबंध में किये गए अध्ययनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दवाई से गिद्धों की किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं।

एसिक्लोफेनीक नामक एक नया खतरा

- वर्तमान में पशुओं को बड़े पैमाने पर एसिक्लोफेनॉक नामक दवा दी जा रही है। इस दवा की आणविक संरचना प्रतिबंधित दवा डाईक्लोफेनॉक जैसी ही है।
- डाईक्लोफेनॉक का प्रयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। इस दवाई का सेवन करने के बाद मरने वाले पशुओं को खाने से गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
- डाईक्लोफेनॉक दवा के घातक प्रभाव को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था।
- एसिक्लोफेनॉक प्रतिबंधित डाईक्लोफेनॉक का ही दूसरा रूप हैं, यह पशुओं के मेटाबॉलिज्म पर डाईक्लोफेनॉक के जैसा ही प्रभाव डालती हैं।

अचानकमार टाइगर रिज़र्व

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, **1972** के अंतर्गत वर्ष **1975** में छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले में अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। वर्ष **2009** में इसे अचानकमार टाइगर रिज़र्व वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया।
- **551.55** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस वन्यजीव अभयारण्य के समीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है।
- यह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह अभयारण्य अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फीयर रिज़र्व (**Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve**) का ही एक हिस्सा है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ, बंगाल टाइगर, जंगली भैंसें जैसी बहुत सी लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ-साथ चीतल (**chital**), धारीदार लकड़बग्घा (**striped hyena**), गौर (**gaur**), सांभर हिरण (**sambar**), नील गाय (**nilgai**), भारतीय चार सींग वाला मृग (**four-horned antelope**) और चिंकारा (**chinkara**) आदि पाए जाते हैं।
- इस वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में साल, साजा, बीजा और बांस के पेड़ पाए जाते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, **1974** के अंतर्गत सितंबर **1974** को किया गया। इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, **1981** के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, **1986** के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, **1974** तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, **1981** के तहत वर्णित किया गया है।

क्या है सफर ?

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली को जून **2015** में दिल्ली और मुंबई के लिये जारी किया गया था।
- इस प्रणाली से वायु प्रदूषण का अग्रिम तीन दिनों के लिये स्थान-विशेष का अनुमान लगाने के साथ ही लोगों को सावधानी के उपाय अपनाने में मदद करने के लिये परामर्श देना संभव हो पाया है।
- यह प्रणाली लोगों को उनके पास के निगरानी स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता को देखने और उसके अनुसार उपाय अपनाने का फैसला लेने में मदद करती है।
- 'सफर' के माध्यम से लोगों को वर्तमान हवा की गुणवत्ता, भविष्य में मौसम की स्थिति, खराब मौसम की सूचना और संबद्ध स्वास्थ्य परामर्श के लिये जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही अल्ट्रा वायलेट सूचकांक के संबंध में हानिकारक सौर विकिरण की तीव्रता की जानकारी भी मिलती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक

- भारत सरकार की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली 'सफर' (**System of Air Quality & Weather Forecasting & Research-SAFAR Scale**) पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता के स्तर को मापा जाता है, जिस पर **1** से लेकर **500** अंकों तक हवा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।
- शुरुआती **100** अंकों को 'अच्छा' माना जाता है। जैसे-जैसे अंक बढ़ते जाते हैं, हवा की गुणवत्ता 'खराब' होती जाती है।

ग्रीन इंडिया मिशन

- **20** फरवरी, **2014** को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शामिल करने के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस मिशन के तहत **12**वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग **13,000** करोड़ रुपए के निवेश से वनावरण में **6** से **8** मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है।
- यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना में प्राथमिकता वाले निम्नलिखित **8** राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करता है: सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, टिकाऊ विकास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र को टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि, जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच।
- ग्रीन इंडिया मिशन **2021-2030** के लिये निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में तेज़ी लाने में मदद करेगा।
- इस साल बजट में इको टास्क फोर्स के लिये **67.50** करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जो कि पिछले बजट की तुलना में **125** प्रतिशत अधिक हैं।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017

- **12** फरवरी को **'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' (India State of Forest Report-ISFR)** जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष **10** देशों में है।
- वर्ष **1987** से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की **15**वीं रिपोर्ट है।
- रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर तीन वर्गों-बहुत घने जंगल (**Very Dense Forest-VDF**), मध्यम घने जंगल (**Moderately Dense Forest-MDF**) और खुले जंगल (**Open Forest -OF**) में बाँटा गया है।

ISFR 2017 से प्रमुख तथ्य

देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल	8,02,088 वर्ग किमी. (24.39%)
भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा	7,08,273 वर्ग किमी. (21.54%)
वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	6778 वर्ग किमी.
वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	1243 वर्ग किमी.
वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि	8021 वर्ग किमी. (1%)
भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का हिस्सा	24.39%

वनों की स्थिति पर राज्यवार आँकड़े

% के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य	
लक्षद्वीप	90.33%
मिज़ोरम	86.27%

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	81.73%

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य (वर्ग किमी.)	
मध्य प्रदेश	77,414
अरुणाचल प्रदेश	66,964
छत्तीसगढ़	55,547

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य	
आंध्र प्रदेश	2141 वर्ग किमी.
कर्नाटक	1101 वर्ग किमी.
केरल	1043 वर्ग किमी.

ताप विद्युत बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रयास

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली फ्लाई ऐश मोबाइल एप 'ऐश ट्रैक' लॉन्च की गई। यह प्लेटफार्म ताप बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा, क्योंकि यह फ्लाई ऐश उत्पादकों (ताप बिजली संयंत्र) तथा सड़क ठेकेदारों, सीमेंट संयंत्रों जैसे संभावित उपयोगकर्त्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा।

फ्लाई ऐश क्या होती है?

- फ्लाई ऐश (**Fly ash**) बहुत सी चीज़ों (जैसे कोयला) को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है।
- ये महीन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके इतर जो राख/ऐश ऊपर नहीं उठती है**,** वह **'**पेंदी की राख**'** कहलाती है।
- कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्रायः चिमनियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
- यहाँ यह जानना बेहद महत्त्वपूर्ण है कि फ्लाई ऐश में सिलिकन डाईऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
- इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनकी फ्लाई ऐश में उपस्थिति होती है।

विशेषताएँ

'ऐश ट्रैक' मोबाइल एप की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- उपभोक्ताओं के लिये
  - ✓ यह एप एक निश्चित स्थान से 100 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर के दायरे में स्थापित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को प्रदर्शित करता है।
  - ✓ यूज़र जहाँ से फ्लाई ऐश लेना चाहता है, उस पावर स्टेशन का चयन कर सकता है।
  - ✓ इसमें ऐश उपलब्धता, यूज़र के स्थान से दूरी, संपर्क व्यक्ति का ब्योरा प्रदर्शित होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ यूज़र ऐश आंवटन के लिये ऑलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ✓ एसएमएस फौरन आवेदनकर्त्ता तथा संबंधित बिजली संयंत्रों को भेजा जाएगा।

- बिजली स्टेशनों के लिये
  - ✓ एप बिजली संयंत्र से 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के दायरे में संभावित ग्राहकों को दिखाता है।
  - ✓ बिजली स्टेशन, बिजली संयंत्र के आस-पास के संभावित ऐश उपयोगकर्त्ताओं जैसे- सीमेंट संयंत्र, एनएचएआई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी परियोजनाएँ और ईंट निर्माता आदि को दिखा सकते हैं।
  - ✓ बिजली संयंत्र ऐश सप्लाई के लिये संभावित ऐश उपयोगकर्त्ताओं से संपर्क कर सकते हैं।

पंचेश्वर बांध परियोजना

- भारत और नेपाल की सीमा पर शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है।
- पंचेश्वर बांध की ऊँचाई **315** मी. है। इस बांध से तकरीबन **4800** मेगावाट बिजली प्राप्त होने की संभावना है।
- इस परियोजना की लागत **40** हज़ार करोड़ रुपए है।
- इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड में लगभग **9100** हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किये जाने की संभावना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पंचेश्वर में महाकाली नदी के साथ चार अन्य नदियों- गौरीगंगा, धौली, सरयू और रामगंगा का संगम होता है। कुल **5040** मेगावाट की यह परियोजना दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
- इस परियोजना पर दो चरणों में काम पूरा किया जाएगा। पहले चरण में **315** मीटर ऊँचा बांध पंचेश्वर में महाकाली और सरयू नदी के संगम से **2** किमी नीचे बनाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में **145** मीटर ऊँचाई वाला बांध, इससे नीचे महाकाली की अग्रगामी शारदा नदी पर पूर्णागिरि में बनाया जाएगा।
- पंचेश्वर बांध के निर्माण हेतु भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा साझा बांध योजना के तहत कार्य किया जाएगा।

रेगिस्तानी क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने हेतु कोष हस्तांतरण

राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर (Indira Gandhi Canal) के पुनर्गठन हेतु एक नए ऋण समझौते को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ-साथ इस समझौते के अंतर्गत रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर नदियों के लिये बाढ़ प्रबंधन प्रणाली (flood management system) तैयार करने को भी सहमति व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (**New Development Bank**) के साथ हुए इस समझौते के तहत **3,300** करोड़ रुपए के ऋण की पहली किश्त के रूप में **1,000** करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इस ऋण राशि की दूसरी खेप का भुगतान अप्रैल में जारी किया जाएगा।
- इस ऋण राशि के इस्तेमाल से उक्त परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत पंजाब की चार प्रमुख नदियों- रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर के वर्षा जल एवं बाढ़ के पानी के अधिक-से-अधिक बेहतर उपयोग पर ज़ोर दिया जाएगा।
- साथ ही भारत-पाकिस्तान सीमा की तरफ होने वाले पानी के अत्यधिक प्रवाह को भी नियंत्रित किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

लाभ

- इंदिरा गांधी नहर और इसकी वितरिकाओं का पुनर्गठन और मरम्मत किये जाने से जहाँ एक ओर इस क्षेत्र में कृषिगत क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर जल भरण तथा स्वच्छ पेयजल की कमी के संबंध में भी प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सफल क्रियान्वयन से इस क्षेत्र विशेष के किसानों के लिये सिंचाई हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इस परियोजना का लाभ राजस्थान के **10** ज़िलों- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर को प्राप्त होगा।

इंदिरा गांधी नहर

- इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है।
- राजस्थान नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकली है। यह राजस्थान के थार मरुस्थल (मरुस्थली) पाकिस्तान सीमा के समानांतर **40** किमी. की औसत दूरी पर बहती है।
- इस नहर की कुल नियोजित लंबाई **9060** किमी. है। यह **19.63** लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है।
- यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है।
- पंजाब में इसे 'राजस्थान फीडर' के नाम से जाना जाता है। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है, बल्कि पेयजल की आपूर्ति होती है। राजस्थान में इस नहर को राज कैनाल भी कहते है।
- इस नहर का उद्घाटन **31** मार्च, **1958** को किया गया था, जबकि **2** नवंबर, **1984** को इसका नाम बदलकर 'इंदिरा गांधी नहर परियोजना' कर दिया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मधुमेह के दुर्लभ प्रकार के लिए जिम्मेदार जीन की खोज

- चेन्नई में शोधकर्त्ताओं ने एक नए जीन की पहचान करने में सफलता पाई है, जो मधुमेह के एक दुर्लभ प्रकार का कारण बनता है।
- इस जीन का नाम **NKX 6.1** है और मधुमेह का यह दुर्लभ प्रकार **'वयस्कता की शुरुआत में होने वाले मधुमेह' (Maturity-Onset Diabetes of the Young-MODY)** के रूप में जाना जाता है।

क्या है मधुमेह रोग?

- जब मानव शरीर में अग्नाशय (पैंक्रियाज) द्वारा इंसुलिन नामक हॉर्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है अथवा इंसुलिन की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है तो मधुमेह **(Diabetes)** रोग हो जाता है।
- इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसमें मानव रक्त में ग्लूकोज़ (रक्त शर्करा) का स्तर बढ़ने लगता है। ग्लूकोज़ का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुँचाता है।

मधुमेह रोग के प्रकार

- टाइप-**2** और टाइप-**1** मधुमेह के सामान्य रूप हैं। मधुमेह के कुल मामलों में **90** से **95%** टाइप-**2** मधुमेह से संबंधित होते हैं।
- टाइप-**2** मधुमेह आमतौर पर वयस्कों को प्रभावित करता है। इस स्थिति में ज़्यादा गंभीर स्थिति के अलावा हाइपर ग्लाइसीमिया (रक्त में ग्लूकोज़ के उच्च स्तर की स्थिति) के नियंत्रण के लिये इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है।
- टाइप-**1** मधुमेह आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है तथा इस प्रकार के मधुमेह में इंसुलिन की पूर्ण कमी होती है। इसलिये उन्हें जीवनभर बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। हालाँकि मधुमेह के कई अन्य प्रकार भी हैं, जिनकी आजकल तेज़ी से पहचान की जा रही है।
- मधुमेह का एक आनुवंशिक रूप भी है, जो एक जीन में दोष के कारण होता है। इसलिये इसे **'**मोनोजीनिक मधुमेह**'** कहा जाता है।
- मोनोजीनिक मधुमेह का सबसे आम रूप है- **'**वयस्कता की शुरुआत में होने वाला मधुमेह**' (MODY)**। यह टाइप-**1** मधुमेह की तरह ही युवा लोगों और बच्चों को प्रभावित करता है।

चंद्रयान मिशन

चंद्रयान-1

- भारत के प्रथम चंद्रमा मिशन चंद्रयान-**1** को **22** अक्तूबर**, 2008** को **PSLV C-11** से सफलतापूर्वक विमोचित किया गया था।
- यह अंतरिक्षयान चंद्रमा के रासायनिक, खनिजीय और प्रकाश-भौमिकी मानचित्रण के लिये चंद्रमा की परिक्रमा करता है।
- इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे एवं पानी के अंश और हीलियम की खोज करने के साथ ही चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे खनिजों और रासायनिक तत्त्वों का वितरण तथा यूरेनियम और थोरियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्त्वों की खोज करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

चन्द्रयान- 2

- यह चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा तथा चंद्रयान-**1** का उन्नत संस्करण है, जिसे अप्रैल **2018** में भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- इसके द्वारा पहली बार चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर यान, एक लैंडर और एक रोवर ले जाया जाएगा। ऑर्बिटर जहाँ चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, वहीं लैंडर चंद्रमा के एक निर्दिष्ट साइट पर उतरकर रोवर को तैनात करेगा।
- इस यान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के मौलिक अध्ययन (**Elemental Study**) के साथ-साथ वहाँ पाए जाने वाले खनिजों का भी अध्ययन (**Mineralogical Study**) करना है।
- इसे **GSLV-MK-II** द्वारा पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट (**Earth Parking Orbit - EPO**) में एक संयुक्त स्टैक के रूप में भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- गौरतलब है कि वर्ष **2010** के दौरान भारत और रूस के बीच यह सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी **'Roscosmos'** चंद्र लैंडर (**Lunar Lander**) का निर्माण करेगी तथा इसरो द्वारा ऑर्बिटर और रोवर के निर्माण के साथ ही जी.एस.एल.वी. द्वारा इस यान की लॉन्चिंग की जाएगी।
- किंतु बाद में यह निर्णय लिया गया कि चंद्र लैंडर का विकास (**Lunar Lander development**) भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार चंद्रयान-**2** अब पूर्णरूपेण एक भारतीय मिशन है।

ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति की वजह

पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति की परिघटना के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझा लिया गया है।

ऑरोरा है क्या?

- सामान्य तौर पर रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुवों अर्थात् दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न इस प्रकाश को 'ऑरोरा' कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑरोरा में से कुछ सूर्योदय से पहले भी दिखाई देते हैं।
- ध्रुवों के पास ही इनकी स्थानीय उत्पत्ति की वज़ह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है।
- उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को **सुमेरु ज्योति (Aurora Borealis)** या उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिणी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को **कुमेरु ज्योति (Aurora Australis)** या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है।

उत्पत्ति के पीछे भौतिक कारण

- वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि ऑरोरा की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और प्लाज़्मा तरंगों के परस्पर मिलने से होती है।
- इलेक्ट्रॉन और प्लाज़्मा तरंगों के परस्पर मिलने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के बाहरी वातावरण के मैग्नेटोस्फेयर में होती है। मैग्नेटोस्फेयर के इलेक्ट्रिक कण ग्रह के चुम्बकीय क्षेत्र से नियंत्रित होते हैं।

प्रक्रिया

- भौतिक कारण का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे ही मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन होता है, वैसे ही सौर वायु ऊर्जा निकलती है। इस सौर वायु ऊर्जा की वजह से ऑरोरल सबस्टॉर्म उत्पन्न होता है।
- मैग्नेटोस्फेयर में आए परिवर्तन से खास किस्म की प्लाज़्मा तरंगें निकलती हैं, जिन्हें कोरस तरंग भी कहा जाता है।
- इन तरंगों से पृथ्वी के बाहरी वातावरण में इलेक्ट्रॉन की बारिश होती है, जिस वजह से ध्रुवों पर कई रंगों के मिश्रण से रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सामाजिक मुद्दे

सुकन्या समृद्धि योजना

- बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिये सरकार द्वारा लघु बचत योजना शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि नामक इस योजना के तहत लोग बेटी के जन्म के समय डाकघरों में बचत खाता खोल सकते है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर **10** वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकता है। योजना शुरू होने के समय जिन बालिकाओं की आयु **10** वर्ष हो चुकी है उनके अभिभावक भी खाता खोल सकते हैं।
- इस योजना की सुविधा केवल दो बेटियों के लिये ही मिलेगी**,** लेकिन पहली बेटी के बाद यदि जुड़वाँ बेटियाँ जन्म लेती हैं तो तीसरी बेटी को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना **18** से **50** वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिये उपलब्ध है**,** जिनका कोई बैंक खाता होगा, जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के ज़रिये प्रीमियम वसूल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर व्यक्ति को दुर्घटना या सहज मृत्यु पर रिस्क कवर मिलता है।
- इस योजना के तहत **330** रुपए वार्षिक (प्रतिदिन **1** रुपए से कम) प्रीमियम देने पर **2** लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। इस योजना में दुर्घटना के साथ-साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलती है।
- इस योजना का लाभ **18** से **50** वर्ष तक की आयु वाला कोई भी बैंक खाताधारक उठा सकता है। धारक के नाम से बीमा जारी किया जाएगा, जिसमें वह अपने उत्तराधिकारी का नामांकन करेगा।
- इस योजना में शामिल होने के लिये खाताधारक को अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद प्रति वर्ष **1** जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा**,** तभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु (दुर्घटना के कारण अथवा स्वाभाविक) होने पर **2** लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में **2** लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में **1** लाख रुपए के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है।
- यह योजना **18** से **70** वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिये है**,** जिनका कोई बैंक खाता है, जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के ज़रिये प्रीमियम वसूल किया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत **12** रुपए वार्षिक प्रीमियम पर **2** लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है और दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही बीमा राशि मिलती है।
- बीमा धारक द्वारा **12** रुपए देने के अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम राशि का भुगतान करेंगे। यह भुगतान बिना दावे की जमाओं से तैयार हुए पब्लिक वेलफेयर फंड और दूसरे स्रोतों से दिया जाएगा।
- सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी गरीब परिवारों को इनके दायरे में लाने के लिये मिशन मोड में काम कर रही है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा **15** अगस्त, **2014** को प्रधानमंत्री जन-धन योजना नामक एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की घोषणा की गई।
- इस योजना को **28** अगस्त, **2014** को औपचारिक रूप में शुरू किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विविध

'एवरी चाइल्ड अलाइव' रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-Unicef) द्वारा 'एवरी चाइल्ड अलाइव' (Every Child Alive) नामक रिपोर्ट में नवजात मृत्यु दर पर देश वार रैंकिंग जारी की गई है।

- नवजात मृत्यु दर को जन्म के पहले **28** दिनों (**0-27** दिनों) के दौरान प्रति **1000** नवजातों पर होने वाली मौतों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- रिपोर्ट में भारत को उन दस देशों की सूची में रखा गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि नवजात बच्चे जीवित रह सकें। वहीं नवजात बच्चों के जन्म के संदर्भ में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश है।
- इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बांग्लादेश, नेपाल और रवांडा जैसे देशों से भी नीचे है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि स्वास्थ्य सूचकांकों पर सुधार करने में वित्तीय संसाधन की बजाय राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख बाधा है।

सबसे अच्छी स्थिति वाले तीन देश

- रिपोर्ट के अनुसार कम मृत्यु दर की बात करें तो जन्म लेने के संदर्भ में जापान, आइसलैंड और सिंगापुर सर्वाधिक सुरक्षित देश हैं, जहाँ प्रति हज़ार जन्म पर मृत्यु दर क्रमश: **0.9, 1** और **1.1** रहीं।
- अर्थात् इन देशों में जन्म लेने के पहले **28** दिनों में प्रति हज़ार बच्चों पर मौत का केवल एक मामला ही सामने आता है।

एच1बी वीज़ा क्या होता है?

- अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को एच**1**बी वीज़ा प्राप्त करना होता है।
- एच**1**बी वीज़ा वस्तुतः 'इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट' **(Immigration and Nationality Act)** की धारा **101(a)** और **15(h)** के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर-अप्रवासी **(Non-immigrants)** नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है।
- यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- एच**1**बी वीज़ा दरअसल नियोक्ता प्रायोजित वीज़ा होता है, जिसका अर्थ यह है कि संयुक्त राज्य आधारित नियोक्ता को सिद्ध करना होता है कि आवेदक एच**1**बी की सभी अनिवार्यताओं को पूर्ण करता है।
- इन नियोक्ताओं के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि वें सिद्ध करें कि उनका नवीन एच**1**बी रोज़गार अमेरिका के कर्मचारियों के रोज़गार को प्रभावित नहीं करेगा।
- विशेषकर, नियोक्ता को प्रमाणित करना होता है कि एच**1**बी रोज़गार अमेरिका के उस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के रोज़गार को विस्थापित नहीं करेगा।
- एच**1**बी वीज़ा प्राप्त कर्मचारी को अन्य नियोक्ता के कार्यस्थल पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और एच**1**बी कर्मी को नियुक्त करने के पहले अमेरिका के कर्मचारी को वरीयता दी जाएगी।
- यदि कोई एच**1**बी वीज़ा प्राप्त कर्मचारी किसी दूसरी अमेरिकी कंपनी में स्थानांतरण चाहे तो नए नियोक्ता को नवीन एच**1**बी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
- एच**1**बी वीज़ा कार्यक्रम विदेशी कर्मचारियों को रोज़गार के लिये अमेरिका में आकर अमेरिकी विशेषज्ञता वाले व्यवसायों में प्रायोजित करने हेतु सक्षमता प्रदान करता है। इन व्यवसायों में सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कानून/विधि आदि शामिल हैं, जिनमें तकनीकी या सैद्धांतिक निपुणता की आवश्यकता होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation